

मुकदमों का विवरण

ई. वी. ए. एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम

पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. (2021 की सिविल अपील No.7906)

सितंबर 06, 2023

[बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुवन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: अपीलीय न्यायाधिकरण ने बिना कोई कारण बताए नीलामी बिक्री को रद्द करने के परिसमापक के निर्णय को बरकरार रखा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, **2016**-बिना कोई कारण बताए परिसमापक द्वारा रद्द की गई नीलामी बिक्री-अपीलार्थी ने अपनी बोली **dtd.16.07** प्रस्तुत की। **21** प्रत्यर्थी को निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के संबंध में (परिसमापन में)-अपीलार्थी को यह प्रमाणित करने के लिए ई-नीलामी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ कि उसने विषय संपत्ति की नीलामी जीती है- आई. डी. **3** पर, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या **2** से केवल यह सूचित करते हुए एक ईमेल प्राप्त हुआ कि उसने ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ में अस्वीकरण खंड के खंड **3 (के)** के तहत ई-नीलामी को रद्द कर दिया है और एक नई ई-नीलामी आयोजित की जाएगी- न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी के नेतृत्व में आवेदन-न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी संख्या **2** को आदेश डी. टी. डी. के माध्यम से निर्देश दिया। **12.08.21** अपीलार्थी को एक संचार भेजने के लिए जिसमें उसे शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने की आवश्यकता होती है-अपीलार्थी को जारी पत्र, पूरी राशि जमा की गई थी-अपीलार्थी के पक्ष में जारी बिक्री प्रमाण पत्र-प्रतिवादी **No.1-fi** वित्तीय लेनदार ने आदेश के खिलाफ अपील की। **12.08.21**- अपीलीय न्यायाधिकरण ने उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया और उसके अनुसार उठाए गए कदमों को उलट दिया, प्रत्यर्थी संख्या **2** को नीलामी की नई प्रक्रिया शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई- उन्होंने बिक्री नोटिस जारी किया। **24.12.2021** विषय संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री के लिए-निर्धारित नीलामी पर रोक:

आयोजित किया गया: ई-नीलामी को रद्द करने के लिए परिसमापक द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था-जबकि सबसे अधिक बोली लगाने वाले के पास कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है।

861

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अपनी बोली को स्वीकार करने की मांग करने के लिए, परिसमापक को यदि वह सबसे अधिक बोली लगाने वाले की बोली को स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो उसे प्रासंगिक कारकों पर अपना दिमाग लगाना होगा-इस तरह के दिमाग का उपयोग अस्वीकृति आदेश में ही दिखाई देना चाहिए या प्रकट होना चाहिए-यह समझ में नहीं आता है कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण पक्षों के अधिकारों से संबंधित निर्णय लेने के कारणों का खुलासा किए बिना निर्णय ले सकता है-इसके अलावा, जबकि यह सच है कि पैरा 1 (11 ए), जिसमें कहा गया है कि जहां परिसमापक नीलामी प्रक्रिया में सबसे अधिक बोली को अस्वीकार करता है, वह इस तरह की अस्वीकृति के कारणों को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बताएगा और अगली प्रगति रिपोर्ट में इसका उल्लेख करेगा, जिसे विनियमन की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। 24.12.21, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने फिर से विषय संपत्ति का आरक्षित मूल्य ₹2 करोड़ निर्धारित किया जो नीलामी बिक्री के पिछले दौर में आरक्षित मूल्य था और जो अपीलार्थी का बोली मूल्य भी था-अपीलार्थी की बोली को अस्वीकार करने और उसी आरक्षित मूल्य पर नीलामी के एक और दौर के लिए जाने में कोई तर्क या औचित्य नहीं था-केवल इसलिए कि परिसमापक को कई नीलामी करने का विवेकाधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उचित मूल्य प्राप्त करने वाली वैध नीलामी को छोड़ देगा या रद्द कर देगा और बेहतर मूल्य की उम्मीद के साथ नीलामी प्रक्रिया के एक और दौर का विकल्प चुनेगा-परिसमापक की ओर से नीलामी को रद्द करने के लिए कोई पूर्ण या निरंकुश विवेकाधिकार नहीं हो सकता है जो अन्यथा वैध है। 2021 – विवादित ऑर्डर को अलग रखें, dt. 12.08 ऑर्डर करें। 2021 भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016-विनियम 33; अनुसूची 1, पैरा 1 (11 ए)-नीलामी-राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियम, 2016-प्रशासनिक कानून-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। [पैरा 20.1, 29, 34.1, 41, 42 और 51]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, **2016-ss.5(24), 29** ए-'संबंधित पार्टी' की अयोग्यता यू/एस। **29** ए-इंटरवेनर ने तर्क दिया कि एक 'वी. के. जी.', अपीलार्थी का निदेशक और प्रमुख शेयरधारक भी **863** में से एक था

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर.

निगमित देनदार का प्रवर्तक निदेशक और प्रमुख शेयरधारक और इसलिए निगमित देनदार का एक 'संबंधित पक्ष' पात्र नहीं था; बल्कि निगमित देनदार की विषय संपत्ति की नीलामी में भाग लेने से वर्जित था:

आयोजित किया गया: अपीलार्थी के लिए अयोग्य ठहराने का अनुरोध बिना किसी आधार के किया गया है क्योंकि संबंधित पक्ष ने एक दशक से अधिक समय पहले निगमित ऋणदाता के स्वामित्व को समाप्त कर दिया था-वह कंपनी का प्रभारी या निगमित ऋणदाता नहीं था, अर्थात् निगमित ऋणदाता जब अपीलार्थी ने नीलामी बिक्री सूचना के अनुसार अपनी बोली लगाई थी। [पैरा 50]

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, **2016-अनुसूची 1, पैरा 1 (11 ए)**-मध्यस्थ की याचिका कि चूंकि पैरा **1 (11 ए)** को अधिसूचना

dtd.30.09 के माध्यम से अनुसूची 1 में डाला गया था।**2021** यदि **30.09.2021** और यह प्रावधान संभावित है, तो इसे **30.09.2021** से पहले आयोजित नीलामी पर लागू नहीं किया जा सकता है, जिसमें विचाराधीन नीलामी भी शामिल है-इसलिए, परिसमापक को अपीलार्थी की बोली को रद्द करने के कारण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी:

आयोजित किया गया:याचिका स्वीकार नहीं की गई-कारणों को प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, बल्कि शक्ति के मनमाने प्रयोग पर एक जांच है-यह एक आदेश पारित करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक कारकों और विचार के लिए दिमाग का उपयोग करने का अनुमान लगाता है-कारणों की अनुपस्थिति यह निष्कर्ष निकालने का एक अच्छा कारण हो सकता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया मनमाना थी-इसलिए, पैरा 1 (11 ए) ने जो किया है वह कारणों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को वैधानिक मान्यता देना है, यदि परिसमापक उच्चतम बोलीदाता की बोली को अस्वीकार करना चाहता है-कारणों को प्रस्तुत करना, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक अभिन्न पहलू है, एक प्रावधान या कार्रवाई में अंतर्निहित है, जिसके तहत परिसमापक द्वारा उच्चतम बोली को खारिज कर दिया जाता है-इस प्रकार, पैरा 1 (11 ए) ने क्या किया है[पैरा 29]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, **2016**-परिसमापक की शक्तियां और कर्तव्य-चर्चा-भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, **2016**।

864 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

एस. एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ (1990) 4 एस. सी. सी. 594:[1990] 1 पूरक।
एससीआर 44; उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार (2004) 5 एससीसी 568:[2004] 2
एस. सी. आर. 68; ईस्ट कोस्ट रेलवे बनाम महादेव अप्पा

राव (2010) 7 एससीसी 678:[2010] 7 एससीआर 908; क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड। बनाम
मसूद अहमद खान (2010) 9 एससीसी 496:[2010] 10 एससीआर 1070;

वालजी खिमजी एंड कंपनी वर्सेज ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ हिंदुस्तान नाइट्रो प्रोडक्ट
(गुजरात) लिमिटेड एंड अदर्स (2008) 9 एस. सी. सी. 299:[2008] 12 एस. सी. आर.
1; के. कुमार गुप्ता बनाम श्री मार्कण्डय और श्री ओमकारेश्वर

स्वामी मंदिर और अन्य (2022) 5 एस. सी. सी. 710-पर निर्भर थे।

स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ

और अन्य (2019) 4 एस. सी. सी. 17:[2019] 3 एससीआर 535; फीनिक्स एआरसी प्राइवेट

लिमिटेड बनाम स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (2021) 3 एससीसी 475; आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड. वी. सतीश कुमार गुप्ता (2019) 2 एससीसी 1:[2018] 12 एस. सी. आर. 362; अरुण कुमार जगतारामका बनाम जिंदल स्टील और

पावर लिमिटेड और दूसरा (2021) 7 एस. सी. सी. 474:[2021] 3 एस. सी. आर. 114-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2021 की सिविल अपील No.7906।2021 के कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.757 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण (प्रधान पीठ) के दिनांक 30.11.2021 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता, पराग मैनी, वरुण लांबा, राघव चड्ढा, सुश्री निष्ठा कुमार, सुश्री इरा महाजन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजेश कुमार गौतम, अनंत अचुनी, दिनेश शर्मा, सुमित शर्मा, कृष्णराज ठाकर, सुश्री पल्लवी लंगर, राहुल आर्य, आशीष चौधरी, सुश्री प्रचेता कर, आदित्य सिद्धरा, नदीम अफरोज, रोहित अमित स्थालेकर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

865

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर.

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

उज्जल भुवन, जे।

हस्तक्षेप के लिए आवेदन (2022 का आई. ए. No.14220) की अनुमति है।2. यह अपील दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 62 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (इसके बाद 'अपीलीय न्यायाधिकरण' को संक्षिप्त रूप में) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक की अपील की अनुमति देते हुए की गई है, यानी प्रतिवादी संख्या 1 2021 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.757 है।राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ, कोलकाता (संक्षिप्त में इसके बाद 'न्यायाधिकरण') द्वारा आई. ए. में पारित दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में उपरोक्त अपील दायर की गई थी। (IB) No.663 KB/2021 CP (IB) 440/KB/2018 में।

3. शुरुआत में, प्रासंगिक तथ्यों का प्रचार करना आवश्यक होगा:-

(i) एक हुवेफार्मा सी (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड ने एक आवेदन का नेतृत्व किया

न्यायाधिकरण के समक्ष मेसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड यानी कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ संहिता की धारा 9 के तहत।इसे सीपी (आईबी) No.440/KB/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

न्यायाधिकरण ने संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन को स्वीकार करते हुए 22.10.2019 दिनांकित एक आदेश पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू हुई।

(ii) 19.02.2021 पर, न्यायाधिकरण ने निगमित देनदार के परिसमापन के लिए एक आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की देखरेख के लिए परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया था। (iii) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक ई-मेल दिनांक 07.06.2021 द्वारा निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए 02.06.2021 दिनांकित एक बिक्री सूचना भेजी। 23.06.2021 निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की नीलामी बिक्री के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्धारित तिथि थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त नीलामी बिक्री अमल में नहीं आई। इसके बाद 29.06.2021 दिनांकित ई-मेल के माध्यम से, उत्तरदाता संख्या 2 ने एक

866

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

20.07.2021 पर निर्धारित निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की नीलामी बिक्री के लिए दिनांक 28.06.2021 की समान सूचना।

(iv) यह कहा गया है कि अपीलकर्ता यानी ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 09.07.2021 पर शामिल किया गया था।

(v) अपीलार्थी ने निगमित देनदार की परिसंपत्तियों (परिसमापन में) के संबंध में अपनी बोली दिनांक 16.07.2021 प्रत्यर्थी संख्या 2 को 17.07.2021 पर प्रस्तुत की। नीलामी के लिए रखी गई परिसंपत्तियां प्लॉट No.56, खाता Nos.27,26,29,36,36 (पुराना) और 362/363 (नया), मौज़ा-देवरिया, परगना भुली, तहसील-चुनार, जिला-मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में 1,05,250.40 वर्ग फुट की भूमि थीं, जिसमें भवन, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियां एकमुश्त आधार पर थीं, जैसा कि बिक्री सूचना के क्रम संख्या 3 में उल्लेख किया गया है। (vi) बिक्री सूचना के संदर्भ में, अपीलार्थी ने विषय संपत्ति के संबंध में 1 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा (ई. एम. डी.) का भुगतान किया। जबकि बोली जमा करने की अंतिम तिथि/समय 14 बजे 20.07.2021 था:30 घंटे, अपीलार्थी ने 19.07.2021 पर Rs.10 करोड़ की राशि के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की थी जो बोली में अधिसूचना के रूप में आरक्षित मूल्य के बराबर थी जो 14 पर समाप्त हुई:30 20.07.2021 पर घंटे।

(vii) 20.07.2021 पर, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 से एक ई-नीलामी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि उसने नीलामी बिक्री के लिए रखी गई निगमित देनदार की संपत्तियों (जिसे इसके बाद 'विषय संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया गया है) के लिए नीलामी जीती थी। 21.07.2021 पर, अपीलार्थी ने एक ई-मेल के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 से विषय संपत्ति के संबंध में आवंटन पत्र जारी करने का अनुरोध किया। यह कहा गया है कि 21.07.2021 को ही अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 से उपरोक्त तिथि का एक ई-मेल प्राप्त हुआ जिसमें सूचित किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ में अस्वीकरण खंड के खंड 3

(के) के तहत 20.07.2021 पर आयोजित ई-नीलामी को रद्द कर दिया था। अपीलार्थी को आगे सूचित किया गया कि विषय संपत्ति के लिए एक नई ई-नीलामी आयोजित की जाएगी।

(viii) उसी से पीड़ित, अपीलकर्ता ने भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड 867 के साथ पठित संहिता की धारा 60 और संबंधित प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन का नेतृत्व किया।

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 868

(परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के साथ-साथ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 के नियम 11 के तहत जो आई. ए. के रूप में पंजीकृत था। (IB) No.663/KB/2021 CP (IB) 440/KB/2018 में। न्यायाधिकरण ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से परिसमापक यानी प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देकर उक्त आवेदन का निपटारा किया कि वह अपीलार्थी को ई-नीलामी नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर शेष बिक्री विचार जमा करने के लिए एक संचार भेजे।

(ix) अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया और अपीलार्थी को शेष राशि जमा करने के लिए एक पत्र जारी किया। उक्त पत्र के अनुसार, अपीलार्थी ने पूरी राशि 10.09.2021 पर जमा की, जिसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के पक्ष में विषय संपत्ति के संबंध में दिनांकित 15.09.2021 का एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया। (x) जबकि परिसमापक ने न्यायाधिकरण के आदेश को स्वीकार कर लिया, वित्तीय लेनदारों में से एक यानी पंजाब नेशनल बैंक (प्रतिवादी संख्या 1) ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ संहिता की धारा 61 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का नेतृत्व किया। अपीलार्थी द्वारा अपील का विरोध किया गया था। हालाँकि, दिनांक 30.11.2021 के विवादित आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील को स्वीकार कर लिया और न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 12.08.2021 के आदेश को रद्द कर दिया। नतीजतन, उक्त आदेश के अनुसार उठाए गए कदमों को भी उलट दिया गया। परिसमापक को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के साथ पठित संहिता के प्रावधानों के अनुसार नीलामी की नई प्रक्रिया शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

(xi) पीड़ित, नीलामी खरीदार ने अपीलार्थी के रूप में वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

4. इस अदालत ने दिनांक 10.01.2022 के आदेश द्वारा नोटिस जारी किया था और बाद की नीलामी पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था जो 17.01.2022 पर निर्धारित किया गया था।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1-पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू में अपने जवाबी हलफनामे में दलील दी कि अपील को सीमा तक खारिज किया जाना चाहिए।

और यह कि नीलामी बिक्री को रद्द करने के परिसमापक के निर्णय को बरकरार रखने वाला अपीलीय न्यायाधिकरण का विवादित आदेश पूरी तरह से उचित है। अपीलार्थी एकमात्र बोलीदाता था और उसने बिल्कुल आरक्षित मूल्य उद्धृत किया था। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विवादित आदेश के पैराग्राफ 11 से 22 में दिया गया तर्क न्यायसंगत और उचित है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नीलामी बिक्री सूचना के खंड 3 (के) का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि परिसमापक को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर ई-नीलामी से किसी भी संपत्ति/संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। रिलायंस को नीलामी बिक्री सूचना के खंड 5 (एम) पर भी रखा गया है, जिसके अनुसार सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को अपनी बोली की स्वीकृति की मांग करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। यह उपरोक्त संदर्भ में है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तर्क दिया है कि परिसमापक नीलामी बिक्री को रद्द करने के अपने अधिकारों के भीतर था, जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सही निर्णय दिया गया है।

5.1. उत्तरदाता संख्या 1 के अनुसार, यह एक तय स्थिति है कि किसी भी नीलामी बिक्री को पूरा होने से पहले हमेशा रद्द किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने विनियमों के खंड-13 में निहित प्रावधानों की अनदेखी की थी, जो यह स्पष्ट करता है कि नीलामी बिक्री केवल पूरी राशि के भुगतान पर पूरी होगी, न कि उस स्तर पर जब सबसे अधिक बोली लगाने वाले को मांग की तारीख से 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। न्यायाधिकरण ने विनियमों के खंड 12 पर भरोसा किया, जिसके अनुसार, नीलामी बंद होने पर, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को मांग की तारीख के 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा; पहले परंतुक में उल्लेख किया गया है कि 30 दिनों के बाद किए गए भुगतान पर 12 प्रतिशत का ब्याज लगेगा, जबकि दूसरे परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि 90 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होने पर बिक्री रद्द कर दी जाएगी। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, न्यायाधिकरण ने खंड 12 पर निर्भरता रखते हुए परिसमापक को ई-नीलामी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर शेष बिक्री विचार जमा करने के लिए अपीलार्थी को एक संचार भेजने का निर्देश देने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया।

5.2. संहिता के तहत या विनियमों के तहत कोई स्पष्ट प्रतिबंध या निषेध नहीं है जो परिसमापक को उच्चतम बोलीदाता की घोषणा के बाद भी नीलामी बिक्री को रद्द करने से रोकता है, लेकिन बिक्री के पूरा होने से पहले जैसा कि विनियमों के खंड 13 के तहत समझा जाता है। इस तरह के एक्सप्रेस बार या निषेध के अभाव में और जब नीलामी बिक्री 869 होनी बाकी थी

निष्कर्ष निकाला, नीलामी बिक्री के एक और दौर के इरादे से नीलामी बिक्री को रद्द करने में लिक्विडेटर अपने अधिकारों के भीतर था। न्यायाधिकरण ने परिसमापक की ऐसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने में गलती की थी।

5.3.अपीलार्थी ने नीलामी बिक्री में भाग लेते समय नीलामी बिक्री सूचना के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया था, जिसमें खंड 3 (के) भी शामिल था। इसलिए, नीलामी बिक्री को रद्द करने के परिसमापक के निर्णय पर सवाल उठाने के लिए अपीलकर्ता खुला नहीं था।

5.4.प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह भी आरोप लगाया है कि अपीलार्थी ने अपील में गलत बयान दिए थे और प्रासंगिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया था। यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी लिखित प्रस्तुति में कहा था कि उन्हें ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया था

कपिला कृषि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांकित 05.08.2021 जिसके प्रवर्तक

अपीलार्थी निगमित देनदार के संस्थापक प्रवर्तक भी थे। इस तरह के ई-मेल की प्राप्ति पर, परिसमापक ने अभिलेख का सत्यापन किया और पाया कि अपीलार्थी के वर्तमान निदेशकों में से एक, श्री विजय कुमार घिदिया अपनी स्थापना से ही कॉर्पोरेट देनदार के निदेशक थे, अर्थात् 22.09.1994 से 13.01.2009। परिसमापक ने प्रस्तुत किया था कि बाद में उसे सुगना फीड्स प्राइवेट लिमिटेड से 05.08.2021 दिनांकित पत्र मिला था जिसमें विषय संपत्ति की नीलामी बिक्री में भाग लेने का अपना इरादा व्यक्त किया गया था। यह तर्क दिया गया कि सुगना फीड्स प्राइवेट लिमिटेड कुक्कुट फीड क्षेत्र में एक अच्छी तरह से स्थापित खिलाड़ी है, जबकि अपीलकर्ता को केवल 09.07.2021 यानी ई-नीलामी बिक्री नोटिस जारी करने के बाद शामिल किया गया था।

5.5.अपीलार्थी ने दिनांक 16.07.2021 के आवेदन के माध्यम से अपनी बोली जमा करते समय परिसमापक द्वारा साझा की गई नीलामी प्रक्रिया के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया था जिसमें पैरा-7 शामिल था। पैराग्राफ-7 विशिष्ट सी है: इसमें उल्लेख किया गया है कि आवेदक परिसमापक द्वारा साझा किए गए ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के नियमों और शर्तों का पालन करेगा। 6. श्री सुनील मोहन आचार्य-निगमित ऋणदाता के परिसमापक अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 2 के पास जवाबी मामला है। न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 19.02.2021 के आदेश के अनुसार उन्हें निगमित देनदार के परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके अनुसार, निगमित देनदार के स्वीकृत ऋण Rs.530 करोड़ हैं जिनमें से वित्तीय लेनदारों के दावे Rs.371 करोड़ हैं।

6.1.02.06.2021 दिनांकित एक ई-नीलामी नोटिस द्वारा, कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, लखनऊ में पोल्ट्री फीड फार्म (लॉट) है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

नंबर 2) और मिर्जापुर (लॉट नंबर 3) को रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ नीलामी के लिए रखा गया था। 11.30 करोड़ और रु। 12.69 करोड़ क्रमशः। 07.06.2021 दिनांकित एक ई-मेल द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी सहित संभावित बोलीदाताओं को ई-नीलामी नोटिस भेजा था। हालाँकि, चूंकि निगमित देनदार की किसी भी संपत्ति के संबंध में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए आरक्षित मूल्यों में 25 प्रतिशत की कमी की गई, जैसा कि विनियमों में प्रदान किया गया था, जिसके बाद लॉट संख्या 2 और लॉट No.3-subject संपत्ति के लिए 25 करोड़ रुपये के संशोधित आरक्षित मूल्य के साथ। 8. 50 करोड़ और रु. 10.00 करोड़ रुपये को फिर से नीलामी के लिए दिनांक 28.06.2021 के ई-नीलामी नोटिस के माध्यम से रखा गया। 29.06.2021 दिनांकित एक ई-मेल द्वारा, ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ के साथ ई-नीलामी नोटिस अपीलार्थी सहित संभावित बोलीदाताओं को भेजा गया था।

6.2.20.07.2021 पर नीलामी की तारीख से पहले, लॉट संख्या 2 और विषय संपत्ति दोनों के लिए अपीलार्थी और एक अन्य इच्छुक बोलीदाता द्वारा बयाना राशि जमा (ई. एम. डी.) का भुगतान किया जाता था। बोली लगाने के समय के निर्धारित समापन से पाँच मिनट पहले अपीलार्थी और दूसरे बोलीदाता द्वारा लॉट संख्या 2 के लिए जवाबी बोलियों में तेजी आई, जिसकी कीमत रु। 8. 50 करोड़ से रु। 14.79 करोड़। लॉट संख्या 2 के संबंध में बोली लगाने का तरीका और यह तथ्य कि उन्हीं दो संस्थाओं ने विषय संपत्ति के लिए ई. एम. डी. प्रस्तुत किया था, लेकिन बोली अंततः केवल अपीलार्थी द्वारा की जा रही थी, ने प्रतिवादी संख्या 2 को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि विषय संपत्ति के लिए अधिक बोलियां प्राप्त की जा सकती हैं। 6.3. प्रत्यर्थी संख्या 2 के अनुसार, विषय संपत्ति की लागत रु। 17.30 करोड़ और रुपये का लिखित पुस्तक मूल्य। लॉट नंबर 2 की तुलना में इसकी लागत 8.89 करोड़ रुपये थी। 9. 28 करोड़ और लिखित पुस्तक मूल्य केवल रु। 2. 45 करोड़। हालाँकि, लॉट नंबर 2 रुपये में बेचा गया था। 14.39 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य की तुलना में। 8. 50 करोड़। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विषय संपत्ति के लिए Rs.10 करोड़ से अधिक कीमत की उम्मीद की क्योंकि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार काफी कम मूल्य होने के बावजूद लॉट संख्या 2 ने Rs.10 करोड़ से अधिक बोलियां प्राप्त की थीं।

6.4. उपरोक्त कारणों से और विषय संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए जो सभी हितधारकों को लाभान्वित करेगा, प्रतिवादी संख्या 2 ने विषय संपत्ति के संबंध में और मूल्य वृद्धि की संभावना का पता लगाना विवेकपूर्ण समझा और इसलिए विषय संपत्ति के लिए नीलामी को रद्द करने का निर्णय लिया।

6.5. उपरोक्त कथनों के समर्थन में, प्रतिवादी संख्या 2 ने ई-नीलामी नोटिस और ई-नीलामी 871 में कुछ नियमों और शर्तों का उल्लेख किया है।

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.]
872

प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़। खंड 3 (च) आवेदक को अस्वीकरण की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है, जो ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ का एक अभिन्न अंग है। खंड 3 (के) में कहा

गया है कि परिसमापक को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर ई-नीलामी से किसी भी संपत्ति/संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। खंड 5 (एम) के अनुसार, सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को अपनी बोली की स्वीकृति की मांग करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। खंड 5 (एन) ई-मेल के माध्यम से सफल बोलीदाता को सूचना भेजने का प्रावधान करता है। डाक भेजने की तारीख को सूचना की प्राप्ति की तारीख माना जाएगा। खंड 2 (एच) के अनुसार, नीलामी के समापन पर, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ऐसी मांग की तारीख के 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। खंड 2 (i) यह स्पष्ट करता है कि पूरी राशि के भुगतान पर, बिक्री पूरी हो जाएगी। परिसमापक तब ऐसी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए बिक्री या बिक्री विलेख के प्रमाण पत्र को निष्पादित करेगा और उसके बाद परिसंपत्तियों को बिक्री के संदर्भ में निर्दिष्ट तरीके से उच्चतम बोलीदाता को वितरित किया जाएगा।

6.6. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने तर्क दिया है कि विषय संपत्ति के लिए अपनी बोली जमा करते समय, अपीलार्थी नीलामी द्वारा बिक्री को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों से अच्छी तरह से अवगत था। अपीलार्थी ने नीलामी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपना आवेदन दिनांक 16.07.2021 जमा करते समय उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया। उनके अनुसार, 20.07.2021 पर बोलियां जमा करने का समय समाप्त होने पर, 'नीलामीकर्ता' के वेब पोर्टल से एक स्वतः उत्पन्न ई-मेल। 'कॉम' अपीलार्थी को यह कहते हुए भेजा गया था कि उसके द्वारा प्रस्तुत बोली सबसे अधिक थी।

6.7. इसके बाद, 21.07.2021 दिनांकित एक ई-मेल द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी को ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के खंड 3 (के) के तहत 20.07.2021 पर आयोजित ई-नीलामी को रद्द करने के बारे में सूचित किया। अपीलार्थी को ई. एम. डी. एकत्र करने की सलाह दी गई थी क्योंकि एक नई ई-नीलामी की जानी थी।

6.8. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उल्लेख किया है कि उन्हें श्री अमित घिदिया से एक ई-मेल प्राप्त हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी के निदेशक भी कॉर्पोरेट देनदार मेसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड के संस्थापक प्रवर्तक थे। इस तरह के ई-मेल की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने निरीक्षण किया और सत्यापन पर पता चला कि अपीलार्थी के वर्तमान निदेशकों में से एक, श्री विजय कुमार घिदिया एक निदेशक थे और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

22.09.1994 से 13.08.2019 की अवधि के दौरान निगमित देनदार का प्रमुख शेयरधारक। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने यह भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी को केवल जुलाई, 2021 में शामिल किया गया था।

6.9.अपीलार्थी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही का उल्लेख करते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि ई-नीलामी को रद्द करने के खिलाफ अपीलार्थी के नेतृत्व में आवेदन की सुनवाई 29.07.2021 पर की गई थी और उसी दिन प्रत्यर्थी संख्या 2 को जवाब देने का कोई अवसर दिए बिना समाप्त हो गया था। हालाँकि, पक्षों को लिखित प्रस्तुतियाँ करने की अनुमति दी गई थी जो प्रतिवादी संख्या 2 के नेतृत्व में थीं।

6.10.दिनांक 1 के आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के आवेदन की अनुमति दी और प्रत्यर्थी संख्या 2 को ई-नीलामी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर शेष बिक्री विचार जमा करने के लिए अपीलार्थी को एक संचार भेजने का निर्देश दिया।

6.11.पंजाब नेशनल बैंक अर्थात्, प्रत्यर्थी संख्या 1, कॉर्पोरेट देनदार का एक वित्तीय लेनदार, जिसके पास Rs.136,61,93,948 के दावे हैं, ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांकित 12.08.2021 के आदेश पर हमला किया। ऐसी कार्यवाही में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के रुख का समर्थन किया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की अपील को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी संख्या 2 को संहिता और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नीलामी की एक नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

6.12.यह कहा गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 1 का आदेश पारित किए जाने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 2 का एक ई-मेल भेजा था जिसमें अपीलार्थी से अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश का पालन करने और विषय संपत्ति का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का आह्वान किया गया था। चूंकि अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने मोबाइल फोन पर ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नवनीत कुमार घिदिया को कई बार कॉल किया, लेकिन कॉल का जवाब नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रतिनिधि को भी विषय संपत्ति में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रतिनिधि ने उन्हें सूचित किया था कि अपीलार्थी गलत तरीके से विषय संपत्ति से सामग्री और उपकरण हटा रहा था।

6.13.यह आगे कहा गया है कि विषय संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री को रद्द करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 को पोल्ट्री फीड क्षेत्र में एक अच्छी तरह से स्थापित खिलाड़ी सुगना फीड्स प्राइवेट लिमिटेड से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें 873 की नीलामी में भाग लेने का इरादा व्यक्त किया गया था।

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.]
874

विषय की संपत्ति। यह कहा गया है कि उपरोक्त के अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 को इफको किसान दिल्ली से 20.08.2021 दिनांकित एक ई-मेल प्राप्त हुआ था,

भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको) की एक सहायक कंपनी

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों में अपनी रुचि व्यक्त करना। 6.14. उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 2 ने तर्क दिया है कि ई-नीलामी को रद्द करना उचित था और कॉर्पोरेट देनदार के हितधारकों के सर्वोत्तम हित में किया गया था।

7. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 1 के जवाबी हलफनामे में जवाब दिया है।

7.1. अपनी दलीलों को दोहराते हुए, अपीलार्थी ने कहा है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अर्थात् न्यायाधिकरण ने परिसमापक (प्रतिवादी संख्या 2) के निर्णय को सही ढंग से दरकिनार कर दिया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के बाद कि अपीलार्थी ने विषय संपत्ति की नीलामी जीत ली है, बिना कोई औचित्य या इस तरह के रद्द करने का कारण बताए ई-नीलामी को रद्द कर दिया। ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के खंड 3 (ए) का उल्लेख करते हुए, अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि उक्त खंड विनियमों के विपरीत है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 2 नीलामी को रद्द नहीं कर सकता था। ई-नीलामी को रद्द करने का ऐसा कार्य पूरी तरह से अवैध और मनमाना था। इस संबंध में, विनियमों की अनुसूची I के पैरा 1 (12) पर निर्भरता रखी गई है। नीलामी के दूसरे दौर में अपीलकर्ता सबसे अधिक और एकमात्र बोली लगाने वाला था और इसकी बोली राशि बिक्री सूचना में उल्लिखित आरक्षित मूल्य से मेल खाती थी। नीलामी के पहले दौर में आरक्षित मूल्य Rs.12,69,00,000-पर निर्धारित किया गया था। हालाँकि, चूंकि नीलामी बिक्री अमल में नहीं आई, इसलिए दूसरे दौर में उत्तरदाता संख्या 2 ने आरक्षित मूल्य को कम कर दिया ताकि बोलीदाता कम से कम आरक्षित मूल्य से मेल खा सकें। यह अपीलार्थी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था जिसके बाद अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि उसने बोली जीत ली है। अपीलार्थी को ई-मेल करने के बाद ई-नीलामी को रद्द करने में प्रतिवादी संख्या 2 की कार्रवाई कि उसने बोली जीती थी, प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है।

7.2. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 24.12.2021 की निर्धारित नई ई-नीलामी के माध्यम से विषय संपत्ति के संबंध में आरक्षित मूल्य को फिर से Rs.10 करोड़ रुपये पर निर्धारित किया जो बोली के दूसरे दौर में आरक्षित मूल्य के बराबर राशि थी और जो अपीलार्थी की बोली राशि थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

7.3. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने खंड 3 (के) की गलत व्याख्या की है जिसका अर्थ है कि चूंकि पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए वह उक्त खंड को लागू करने और बोली को रद्द करने का हकदार था। विनियमों की समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए इस तरह का विवाद पूरी तरह से असमर्थनीय है। नीलामी प्रक्रिया को रद्द करते समय परिसमापक द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था। नीलामी को बिना किसी कारण के रद्द करने का आदेश परिसमापक द्वारा समझदारी से काम लेने का संकेत नहीं देता है।

7.4.अपीलार्थी ने जोर देकर कहा है कि परिसमापक अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांकित आदेश के खिलाफ किसी भी अपील को दायर नहीं करके न्यायाधिकरण के फैसले को स्वीकार कर लिया था। इसलिए, अपीलार्थी के दावे को चुनौती देने के लिए परिसमापक खुला नहीं है।

8. जैसा कि ऊपर देखा गया है, श्री हरीश बागला ने हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक आवेदन का नेतृत्व किया है जिसकी हमने अनुमति दी है।

9. तथ्यों का वर्णन करने और उस पर टिप्पणी करने के अलावा, हस्तक्षेपकर्ता ने कहा है कि अपीलार्थी का नियंत्रण करने वाला प्रमुख व्यक्ति श्री विजय कुमार घिदिया है जो अपीलार्थी का निदेशक और प्रमुख शेयरधारक है। श्री विजय कुमार घिदिया कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक निदेशकों और प्रमुख शेयरधारकों में से एक थे। संहिता की धारा 29 ए के तहत विशिष्ट सी बार को देखते हुए कॉर्पोरेट देनदार की किसी भी संपत्ति की बिक्री कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्ष के पक्ष में नहीं की जा सकती थी। वास्तव में, श्री विजय कुमार घिदिया हस्तक्षेप करने वाले के मामा भी हैं जो कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं। श्री विजय कुमार घिदिया इसलिए संहिता की धारा 5 (24) और 5 (24 ए) के तहत 'संबंधित पक्ष' के अर्थ में आते हैं। इसलिए, अपीलार्थी के पक्ष में नीलामी बिक्री कानूनी रूप से खराब है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

9.1. इस पहलू को प्रतिवादी संख्या 2 यानी परिसमापक के ध्यान में भी लाया गया था।

9.2. यह कहा गया है कि हस्तक्षेपकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 2021 की कंपनी अपील (एडी) (दिवाला) No.789 के रूप में एक अपील का नेतृत्व किया था। उक्त अपील में, 27.09.2021 पर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। हस्तक्षेप करने वाले की अपील की सुनवाई होने से पहले, अपीलीय न्यायाधिकरण ने 875 के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 की अपील को अनुमति देते हुए दिनांक 1 का आदेश पारित कर दिया था।

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 876

न्यायाधिकरण दिनांक 12.08.2021। इसलिए, जब मध्यस्थ की अपील अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो उसका निपटान 09.12.2021 दिनांकित आदेश के माध्यम से किया गया क्योंकि इसे निष्फल कर दिया गया था। जब मध्यस्थ को पता चला कि अपीलार्थी ने वर्तमान अपील का नेतृत्व किया है, तो उसने हस्तक्षेप आवेदन का नेतृत्व किया था।

10. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल को सुना है; प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील श्री राजेश कुमार गौतम; प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील श्री कृष्णराज ठक्कर; और हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ भटनागर को सुना है।

हरीश बागला।

11. आरंभ में अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करने और परिसमापक के आदेश को बहाल करने में पूरी तरह से गलत साबित हुआ। नीलामी बिक्री को रद्द करने के परिसमापक के आदेश को स्वीकार करते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि यह किसी भी कारण से रहित है। इस तरह का आदेश न केवल मनमाना है, बल्कि कानून की नजर में गैर-कानूनी है। परिसमापक के लिए आरक्षित मूल्य को Rs.10 करोड़ की उसी राशि पर रखते हुए नई नीलामी के लिए जाने का कोई अवसर नहीं हो सकता था जो अपीलार्थी द्वारा बोली लगाई गई थी और परिसमापक द्वारा स्वीकार की गई थी। वास्तव में, परिसमापक ने घोषणा की थी कि अपीलार्थी ने बोली जीत ली है। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की शिकायत की उचित सराहना की थी और परिसमापक के उपरोक्त आदेश में हस्तक्षेप किया था। परिसमापक ने न्यायाधिकरण के दिनांक 1 के आदेश को चुनौती नहीं दी, बल्कि परिसमापक ने अपीलार्थी से शेष बिक्री पर विचार स्वीकार करके और बिक्री प्रमाण पत्र जारी करके इसका पालन किया था। चूंकि परिसमापक ने न्यायाधिकरण के आदेश को स्वीकार कर लिया था, इसलिए अपीलार्थी के नेतृत्व में अपील में प्रत्यर्थी संख्या 1 या अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश का समर्थन करना उसके लिए खुला नहीं था। उन्होंने यह भी बताया है कि नीलामी के समय, श्री विजय कुमार घिदिया अब कॉर्पोरेट देनदार से जुड़े नहीं थे, जो वर्ष 2011 में उक्त कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे। इसलिए, वह संहिता के तहत 'संबंधित पक्ष' अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आ सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि वर्तमान अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करने और न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल करने के लिए एक अंतिम मामला है जिसका वास्तव में परिसमापक द्वारा पालन किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील श्री राजेश कुमार गौतम प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता संहिता या विनियमों में किसी विशेष प्रावधान को इंगित करने में विफल रहा है जो परिसमापक को उच्चतम बोलीदाता घोषित करने के बाद नीलामी बिक्री को रद्द करने से रोकता है, लेकिन बिक्री के पूरा होने से पहले। नीलामी सूचना के खंड 3 (के) के तहत परिसमापक को रद्द करने की शक्ति उपलब्ध है। ऐसी शक्ति का प्रयोग बिना कोई कारण बताए परिसमापक द्वारा किया जा सकता है। बोली लगाते समय, अपीलार्थी ने नीलामी सूचना के सभी खंडों को बिना शर्त स्वीकार कर लिया था, जिसमें खंड 3 (के) भी शामिल था। इसलिए, न्यायाधिकरण को परिसमापक के इस तरह के निर्णय में हस्तक्षेप करने और परिसमापक को नीलामी बिक्री प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश देने के लिए उचित नहीं ठहराया गया था। बिक्री के पूरा होने से पहले, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में बिक्री करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। जहाँ तक अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की स्थिरता का संबंध है, वह प्रस्तुत करता है कि किसी वित्तीय लेनदार को न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने से रोकने के लिए कोई रोक या निषेध नहीं है क्योंकि वित्तीय लेनदार निश्चित रूप से एक पीड़ित व्यक्ति है और निगमित देनदार की विषय संपत्ति

की नीलामी बिक्री में उसका पर्याप्त हित है। इसके अलावा, विनियमों की अनुसूची I के पैरा 1 (11) के तहत, परिसमापक को परिसंपत्तियों की बिक्री में अधिकतम प्राप्ति करने और वित्तीय लेनदारों के सर्वोत्तम हित को बढ़ावा देने के लिए नीलामी के कई दौर आयोजित करने का विवेकाधिकार है। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा विनियमों की अनुसूची I के पैरा 1 (13) पर निर्भरता गलत है क्योंकि कहा जा सकता है कि बिक्री केवल पूरी राशि के भुगतान पर पूरी की गई थी, न कि बोली लगाने वाले को उच्चतम बोलीदाता के रूप में घोषित करने पर, जिसे किसी भी मामले में बिक्री की पुष्टि का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी किसी भी तरह से नीलामी के अगले दौर से प्रभावित नहीं है जो 17.01.2022 पर निर्धारित किया गया था, लेकिन इस न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण आगे नहीं बढ़ सका। अपीलार्थी निश्चित रूप से नीलामी के अगले दौर में भाग ले सकता है। 12.1. उपरोक्त संदर्भ में, वह प्रस्तुत करता है कि न्यायाधिकरण परिसमापक के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायोचित नहीं था और इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने न्यायाधिकरण के उक्त आदेश को सही ढंग से दरकिनार कर दिया और परिसमापक के आदेश को बहाल कर दिया। उन्होंने नीलामी नोटिस के खंड 3 (के) का उल्लेख किया है जो परिसमापक को बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर ई-नीलामी को रद्द करने का विवेक प्रदान करता है। वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ता एकमात्र बोलीदाता था और उसकी बोली राशि बिल्कुल आरक्षित मूल्य के समान थी। यह उस संदर्भ में था कि 877

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 878

लिक्विडेटर ने बेहतर कीमत पाने के लिए नीलामी का एक और दौर आयोजित करने की दृष्टि से नीलामी को रद्द करने का फैसला किया। परिसमापक द्वारा इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग करने में कुछ भी गलत या अवैध नहीं था।

13. प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील श्री कृष्णराज ठक्कर ने भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील द्वारा की गई उपरोक्त दलीलों को अपनाया और दोहराया है। इसके अतिरिक्त, वह प्रस्तुत करता है कि लिक्विडेटर को एक श्री अमित घिदिया से 10.09.2021 दिनांकित एक ई-मेल प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सूचित किया गया था कि अपीलार्थी का प्रवर्तक कॉर्पोरेट देनदार का संस्थापक प्रवर्तक भी था। श्री विजय कुमार घिदिया, जो अपीलार्थी के निदेशकों में से एक हैं, कॉर्पोरेट देनदार के निदेशक और प्रमुख शेयरधारक भी थे। हाल ही में जुलाई 2021 के महीने में अपीलार्थी को शामिल करने से भी अपीलार्थी की प्रकृति और उसके इरादों के बारे में संदेह पैदा हुआ।

13.1. अपीलार्थी ने अपनी बोली प्रस्तुत करते समय नीलामी प्रक्रिया के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया था। इसलिए, यह अपीलार्थी के लिए परिसमापक द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है, जो नीलामी के नियमों और शर्तों में से एक है।

13.2. जहां तक नीलामी प्रक्रिया के विजेता के रूप में घोषित करने वाले अपीलार्थी को ई-मेल जारी करने का संबंध है, वह प्रस्तुत करता है कि बोलियां रखने का समय समाप्त होने पर, ई-नीलामी

वेबसाइट "डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू. से एक स्वतः उत्पन्न ई-मेल।नीलामीकर्ता।कॉम "को अपीलार्थी को यह कहते हुए भेजा गया था कि उसके द्वारा प्रस्तुत बोली सबसे अधिक थी।यह एक स्वतः उत्पन्न ई-मेल था और इसे ई-नीलामी प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है।जहां तक शेष बिक्री पर विचार और बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने का संबंध है, वह प्रस्तुत करता है कि यह न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार किया गया था।13.3.सुनवाई के दौरान, उन्होंने प्रस्तुत किया कि कॉर्पोरेट देनदार की दो परिसंपत्तियाँ थीं; एक लखनऊ (लॉट नंबर 2) में और दूसरा मिर्जापुर (लॉट नंबर 3) में।चूंकि लॉट नंबर 2 की परिसंपत्तियों से रु। लिक्विडेटर का मानना था कि इस संपत्ति को आरक्षित मूल्य Rs.10 करोड़ से अधिक राशि मिल सकती है।इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने ई-नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था।

13.4.इस निवेदन पर कि परिसमापक ने न्यायाधिकरण के निर्णय पर हमला नहीं किया और इसलिए उसे स्वीकार कर लिया था, उनका तर्क है कि सभी कार्यवाहियों में परिसमापक ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित मामले को चुनौती दी थी।अब जब प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील को अपीलीय द्वारा अनुमति दे दी गई है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

न्यायाधिकरण, परिसमापक उसी से बाध्य है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि नीलामी को रद्द करने का परिसमापक का निर्णय तब सही साबित हुआ जब नीलामी को रद्द करने के बाद, परिसमापक को सुगना फीड्स प्राइवेट लिमिटेड से दिनांकित 05.08.2021 पत्र प्राप्त हुआ जिसमें नीलामी में भाग लेने का अपना इरादा व्यक्त किया गया था।

विषय संपत्ति।सुगना फीड्स प्राइवेट लिमिटेड एक अच्छी तरह से स्थापित खिलाड़ी है।

कुक्कुट क्षेत्र में जबकि अपीलार्थी को ई-नीलामी बिक्री सूचना जारी होने के बाद शामिल किया गया था।

14. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ भटनागर ने 'संबंधित पक्ष' के मुद्दे पर प्रकाश डाला।उनके अनुसार, अपीलार्थी को 'संबंधित पक्ष' होने के कारण ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था।अपीलार्थी के प्रवर्तक निदेशक, श्री विजय कुमार घिदिया, मध्यस्थ श्री हरीश बागला के मामा हैं।श्री विजय कुमार घिदिया अपीलार्थी के निदेशकों में से एक हैं।वह कॉर्पोरेट देनदार के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रवर्तक निदेशकों और मूल ग्राहकों में से एक थे।आगे विस्तार से बताते हुए, वह मध्यस्थ की उस माँ श्रीमती को प्रस्तुत करता है।चंदा बागला श्री विजय कुमार घिदिया की बहन हैं।कॉर्पोरेट देनदार में इंटरवेनर की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, जिसकी कॉर्पोरेट देनदार की चुकता शेयर-पूंजी का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा है।अतः परिसमापक को नीलामी बिक्री सूचना को केवल इस आधार पर रद्द करना चाहिए था कि अपीलकर्ता निगमित देनदार का 'संबंधित पक्ष' है।10.09.2021 दिनांकित ई-मेल का उल्लेख करते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि श्री विजय कुमार घिदिया के पुत्र श्री अमित घिदिया ने

परिसमापक के ध्यान में लाया था कि श्री विजय कुमार घिदिया हस्तक्षेप करने वाले के मामा हैं। इस तरह के संबंध के आधार पर, अपीलार्थी संहिता की धारा 5 (24) और धारा 5 (24 ए) के साथ पठित धारा 29 ए के तहत अयोग्यता को आकर्षित करेगा।

15. उपरोक्त दलीलों का उल्लेख करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल प्रस्तुत करते हैं कि हस्तक्षेपकर्ता जैसे व्यक्तियों की गतिविधियों के कारण ही निगमित देनदार वर्तमान स्थिति में आया है। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए कॉर्पोरेट देनदार की नीलाम की गई परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन प्राप्त करने के बारे में बात करना खुला नहीं है। जहाँ तक 'संबंधित पक्ष' के आरोप का संबंध है, वह प्रस्तुत करते हैं कि यह कोई बाधा नहीं है और इसे अपीलार्थी के लिए अयोग्यता प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि श्री विजय कुमार घिदिया ने वर्ष 2011 में कॉर्पोरेट देनदार के निदेशक के रूप में काम करना बंद कर दिया था। धारा 879 के तहत अयोग्यता आकर्षित करने के लिए

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 880

29 ए, संबंध निकटवर्ती होना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने स्विस् रिबन प्राइवेट के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा जताया है।

लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **1.**

16. पक्षकारसभक लेल विद्वान वकील द्वारा देल गेल निवेदन सभ पर न्यायालय द्वारा उचित विचार कयल गेल अछि।

17. जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के बाद, परिसमापक यानी प्रतिवादी संख्या 2 ने निगमित देनदार की विषय संपत्ति की बिक्री के लिए दिनांक 02.06.2021 पर बिक्री सूचना जारी की थी। विषय संपत्ति का आरक्षित मूल्य रुपये निर्धारित किया गया था। 12.69 करोड़, जबकि ई. एम. डी. को रु. 1,26,19,000.00 पर निर्धारित किया गया था। ई-नीलामी 23.06.2021 पर 14.00 से 14.30 घंटों के बीच निर्धारित थी। यह ई-नीलामी किसी भी बोलीदाता की अनुपस्थिति में सफल नहीं हुई। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विषय संपत्ति की नीलामी बिक्री के लिए दिनांक 28.06.2021 पर दूसरा बिक्री नोटिस जारी किया। इस बार आरक्षित मूल्य को घटाकर Rs.10 करोड़ कर दिया गया था और तदनुसार, ई. एम. डी. को 1 करोड़ रुपये पर निर्धारित किया गया था। ई. एम. डी. जमा करने की अंतिम तिथि 19.07.2021 थी और बोली लगाने की तिथि और समय 14.30 बजे 20.07.2021 के रूप में निर्धारित किया गया था। उसमें यह उल्लेख किया गया था कि ई-नीलामी बिक्री दूसरे उत्तरदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

17.1. जैसा कि प्रतीत होता है, अपीलकर्ता एकमात्र बोलीदाता था और उसका बोली मूल्य Rs.10 करोड़ था जो आरक्षित मूल्य के बराबर था।

18. एक पल के लिए यहाँ रुकने के बाद, हम बोली आवेदन पत्र के लिए विज्ञापन दे सकते हैं। बोली आवेदन पत्र के खंड-7 के अनुसार, आवेदक यानी बोलीदाता को ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करना आवश्यक था। खंड-9 में प्रावधान किया गया है कि आवेदक परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी में भाग लेगा, जो भी आधार है, जो भी आधार है और जो भी आधार नहीं है। इसके अलावा, यदि उच्चतम बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो बोली राशि आवेदक पर बिना शर्त बाध्यकारी होगी। खंड-12 में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक हर समय संहिता और विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

1 (2019) 4 एससीसी 17

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

19. ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज परिसमापक यानी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कॉर्पोरेट देनदार की विषय संपत्ति की ई-नीलामी को विनियमित करने के लिए जारी किया गया था। खंड 2 (छ) के अनुसार, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक सफल बोलीदाता की ई. एम. डी. को बिक्री विचार के हिस्से के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाता की ई. एम. डी. वापस कर दी जाएगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। खंड 2 (एच) में कहा गया है कि विनियमों की अनुसूची I के पैरा 1 (12) के अनुसार, नीलामी बंद होने पर, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ऐसी मांग की तारीख के 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। खंड 2 (एच) के परंतुक (i) के अनुसार, 30 दिनों के बाद किए गए भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा और खंड 2 (एच) के परंतुक (ii) के अनुसार, यदि भुगतान 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी। खंड 2 (i) में कहा गया है कि पूरी राशि के भुगतान पर, बिक्री पूरी हो जाएगी और परिसमापक ऐसी संपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए बिक्री या बिक्री विलेख का प्रमाण पत्र निष्पादित करेगा जो उसे बिक्री की शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से वितरित किया जाएगा। खंड 2 (एम) के अनुसार, ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में दी गई जानकारी को संहिता और विनियमों के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज और संहिता या विनियमों के बीच टकराव की स्थिति में, संहिता या विनियमों के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, प्रबल होंगे। खंड 2 (आर) का अधिदेश यह है कि सफल बोलीदाता को परिसंपत्तियों को किसी भी नुकसान के बिना परिसमापक को पूर्ण भुगतान की तारीख से 15 दिनों के भीतर ई-नीलामी के तहत बेची जा रही चल परिसंपत्तियों का कब्जा लेना होगा।

19.1. ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज का खंड 3 अस्वीकृति से संबंधित है। जबकि खंड 3 (ए) कहता है कि उक्त दस्तावेज केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए परिसमापक द्वारा जारी किया गया है; उप-खंड (बी) स्पष्ट करता है कि उक्त दस्तावेज एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है; इसे भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के किसी भी नियामक या वैधानिक प्राधिकरण के साथ अनुमोदित या पंजीकृत नहीं किया गया है। इसके अलावा, ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज से संबंधित किसी भी बात को परिसमापक द्वारा कानूनी, वित्तीय, लेखा, नियामक या कर सलाह के

रूप में नहीं माना जाना चाहिए। खंड 3 (च) घोषणा करता है कि ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ की एक प्रति प्राप्त करके, प्राप्तकर्ता ने अस्वीकरण की शर्तों को स्वीकार कर लिया, जो ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ का एक अभिन्न अंग है। खंड 3 (i) के अनुसार, ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ न तो एक समझौता है और न ही 881

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 882

परिसमापक द्वारा संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को एक प्रस्ताव। ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो उनकी बोली लगाने में उनके लिए उपयोगी हो सकती है। खंड 3 (के) घोषणा करता है कि परिसमापक को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने या किसी भी स्तर पर ई-नीलामी से किसी भी संपत्ति/संपत्ति या उसके हिस्से को बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। खंड 5 (एम) के अनुसार, ई-नीलामी पर उच्चतम बोली संबंधित बोलीदाताओं की पिछली सभी बोलियों को हटा देगी। हालांकि, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को अपनी बोली की स्वीकृति की मांग करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

20. 21.07.2021 पर, अपीलार्थी को दूसरे प्रतिवादी यानी परिसमापक से एक बधाई ई-मेल प्राप्त हुआ। इस ई-मेल की भाषा काफी महत्वपूर्ण है। अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उसने विषय संपत्ति के लिए नीलामी जीत ली है। विजेता बोलीदाताओं का आदेश तैयार किया गया था और वस्तु को अपीलार्थी के वेब पेज पर सूचीबद्ध किया गया था। यदि अपीलार्थी के कोई प्रश्न हैं, तो नीलामी प्रशासक से संपर्क करने की सलाह दी गई थी। जब अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से विषय संपत्ति के संबंध में आवंटन पत्र जारी करने का अनुरोध किया, तो उसे प्रत्यर्थी संख्या 2 से 17 बजे ही 21.07.2021 पर एक ई-मेल प्राप्त हुआ: 56 पी एम। अपीलार्थी को सूचित किया गया कि ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ के खंड 3 (के) के संदर्भ में, उन्होंने 20.07.2021 पर आयोजित ई-नीलामी को रद्द कर दिया था। अपीलार्थी को सूचित किया गया कि परिसमापक विषय संपत्ति की बिक्री के लिए एक नई ई-नीलामी लाएगा।

20.1. उपरोक्त से, हम समझते हैं कि परिसमापक द्वारा 20.07.2021 पर आयोजित ई-नीलामी को रद्द करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। अपीलार्थी को केवल यह सूचित किया गया था कि ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ के खंड 3 (के) के संदर्भ में ई-नीलामी को रद्द कर दिया गया था। खंड 3 (के) जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, केवल यह घोषणा करता है कि परिसमापक को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी आदि को किसी भी स्तर पर स्थगित/स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है, इसके लिए कोई कारण बताए बिना। हम इस खंड का विज्ञापन कुछ समय बाद करेंगे।

21. विवरण को पूरा करने के लिए, हम उल्लेख कर सकते हैं कि इस तरह के रद्द करने से व्यथित, अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष संहिता की धारा 60 के तहत इस तरह के रद्द करने का आरोप लगाते हुए एक आवेदन का नेतृत्व किया था। न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या

परिसमापक को ई-नीलामी को रद्द करने में न्यायसंगत ठहराया गया था। न्यायाधिकरण ने नोट किया कि परिसमापक ने बिना कुछ बताए नीलामी को रद्द कर दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कारण। यद्यपि परिसमापक द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष एक तर्क प्रस्तुत किया गया था कि निगमित देनदार की नीलामी के लिए रखी गई अन्य संपत्तियों (लखनऊ में) को अधिक कीमत मिली और इसलिए परिसमापक ने भविष्य की नीलामी प्रक्रिया में अधिक कीमत की उम्मीद में नीलामी को रद्द करने का फैसला किया, लेकिन न्यायाधिकरण ने इसे स्वीकार नहीं किया। यह सेब की तुलना संतरे से करने के बराबर होगा। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि परिसमापक की इस धारणा का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि वर्तमान नीलामी को रद्द करने और आगे की नीलामी के लिए जाने से विचाराधीन परिसंपत्तियों की कीमत बेहतर होगी और बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए अंतहीन प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। यह मानते हुए कि परिसमापक के लिए ई-नीलामी को रद्द करने का कोई कारण नहीं था, जब नीलामी प्रक्रिया का पहला दौर सफल नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित मूल्य में कमी आई थी, न्यायाधिकरण ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से परिसमापक को ई-नीलामी नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर शेष बिक्री विचार जमा करने के लिए अपीलकर्ता को एक संचार भेजने का निर्देश दिया। 21.1. यह अभिलेख पर आया है कि न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश के बाद, परिसमापक अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी से शेष बिक्री का भुगतान करने का आह्वान किया था और अपीलार्थी द्वारा उसी के भुगतान पर, विषय संपत्ति के संबंध में अपीलार्थी को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया था।

22. हम आगे यह उल्लेख कर सकते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् परिसमापक ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। वित्तीय लेनदारों में से एक अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 1 ने न्यायाधिकरण के आदेश को स्वीकार करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का नेतृत्व किया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश द्वारा कहा कि अपीलकर्ता एकमात्र बोलीदाता था, जिसकी बोली आरक्षित मूल्य के बराबर थी। परिसमापक ने ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के खंड 3 (के) को लागू किया और नीलामी को रद्द करने का फैसला किया। उस समय तक कोई अनुबंध नहीं हुआ था; कुल राशि का भुगतान करने के बाद ही बिक्री का समापन होता है। बिक्री सफलतापूर्वक समाप्त होने से पहले, लिक्विडेटर के पास बिक्री को रद्द करने का अधिकार था। नीलामी बिक्री में सफल बोलीदाता नीलामी को लागू करने के लिए कानून में कोई निहित अधिकार हासिल नहीं करता है। इसलिए, न्यायाधिकरण को परिसमापक द्वारा नीलामी रद्द करने को दरकिनार करने में न्यायसंगत नहीं ठहराया गया था। न्यायाधिकरण यह ध्यान देने में विफल रहा कि नीलामी बिक्री सूचना की शर्तों ने परिसमापक को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए नीलामी को रद्द करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया है। न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करते हुए 883

साथ ही इसके अनुपालन में उठाए गए कदमों के साथ, अपीलीय न्यायाधिकरण ने परिसमापक को नीलामी की नई प्रक्रिया शुरू करने की स्वतंत्रता दी। इसके अनुसार, परिसमापक यानी प्रतिवादी संख्या 2 ने विषय संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री के लिए दिनांक 24.12.2021 पर एक बाद की बिक्री सूचना जारी की थी, जिसमें नीलामी की तारीख 17.01.2022 थी। दिलचस्प बात यह है कि नीलामी के इस दौर में आरक्षित मूल्य भी Rs.10 करोड़ रखा गया था। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते समय 10.01.2022 दिनांकित आदेश द्वारा 17.01.2022 पर निर्धारित नीलामी पर रोक लगा दी थी।

23. संहिता की धारा-5 संहिता में उपयोग की जाने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषा से संबंधित है। धारा 5 (18) के अनुसार, 'परिसमापक' का अर्थ है एक दिवालिया पेशेवर जिसे संहिता के भाग I के अध्याय III या अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया है। अध्याय III परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि अध्याय V निगमित व्यक्तियों के स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित है। धारा 34, जो अध्याय III के तहत है, परिसमापक की नियुक्ति और भुगतान किए जाने वाले शुल्क का प्रावधान करती है। धारा 34 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि जहां कोई न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 33 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन के लिए आदेश पारित करता है, वहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए नियुक्त समाधान पेशेवर, लिखित सहमति प्रस्तुत करने के अधीन, परिसमापन के उद्देश्यों के लिए परिसमापक के रूप में कार्य करेगा, जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। उप-धारा (2) के अनुसार, धारा 34 के तहत परिसमापक की नियुक्ति पर निदेशक मंडल, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और निगमित देनदार के भागीदारों की सभी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और परिसमापक में निहित किया जाएगा। उप-धारा (3) निगमित ऋणी के कर्मियों से निगमित ऋणी के ऋणों के प्रबंधन में परिसमापक को सभी सहायता और सहयोग देने की अपेक्षा करती है। उप-धारा (4) से (7) समाधान पेशेवर के प्रतिस्थापन से संबंधित है जबकि उप-धारा (8) और (9) परिसमापक द्वारा लिए जाने वाले शुल्क से संबंधित है।

23.1. परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य संहिता की धारा 35 में प्रदान किए गए हैं। उप-धारा (1) उन विभिन्न शक्तियों और कर्तव्यों की गणना करती है जिन्हें परिसमापक द्वारा निष्पादित और निष्पादित किया जाना है। खंड (च) में कहा गया है कि परिसमापक के पास सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा परिसमापन में अचल और चल संपत्तियों और निगमित देनदार के कार्रवाई योग्य दावों को बेचने की शक्ति और कर्तव्य है, जिसमें ऐसी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति या निकाय को हस्तांतरित करने की शक्ति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है। परंतु के अनुसार, परिसमापक परिसमापन में अचल और चल संपत्तियों या निगमित देनदार के कार्रवाई योग्य दावों को किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचेगा जो समाधान आवेदक होने के योग्य नहीं है।

23.2. धारा 36 के अनुसार, परिसमापन के उद्देश्य से, परिसमापक परिसंपत्तियों की एक संपत्ति बनाएगा जिसे निगमित देनदार के संबंध में परिसमापन संपत्ति कहा जाएगा और परिसमापन संपत्ति को सभी लेनदारों के लाभ के लिए एक सहायक के रूप में रखेगा।

23.3. उपरोक्त के अलावा, परिसमापक की कई अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य हैं।

24. उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि परिसमापक वस्तुतः निगमित देनदार के प्रबंधन में कदम रखता है और परिसमापन प्रक्रिया की देखरेख करता है। इस प्रक्रिया में, वह कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन संपत्ति को सभी लेनदारों के लाभ के लिए एक वित्तीय संरक्षक के रूप में रखता है। परिसमापन प्रक्रिया की देखरेख करते समय, उसे सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध के माध्यम से परिसमापन में सभी चल और अचल संपत्तियों और कॉर्पोरेट देनदार के कार्रवाई योग्य दावों को बेचने का अधिकार है, हालांकि वह ऐसी संपत्ति या दावों को किसी भी व्यक्ति को नहीं बेच सकता है जो समाधान आवेदक होने के योग्य नहीं है।

25. जबकि हम परिसमापक की शक्तियों और कर्तव्यों पर हैं, धारा 5 और संहिता की धारा 240 के साथ पठित संहिता की अन्य धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए विनियमों के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा, जिसके अनुसार भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड संहिता के प्रावधानों को पूरा करने के लिए विनियम बना सकता है। विनियम 3 परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता से संबंधित है। विनियमन 3 (1) के अनुसार, एक दिवाला पेशेवर परिसमापक के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा यदि वह और दिवाला पेशेवर इकाई का प्रत्येक भागीदार या निदेशक जिसमें वह भागीदार या निदेशक है, निगमित देनदार से स्वतंत्र है। विनियम 3 (1) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में बताया गया है कि निगमित देनदार से स्वतंत्र माने जाने वाले व्यक्ति कौन हैं। स्पष्टीकरण (बी) के अनुसार, एक व्यक्ति को निगमित देनदार से स्वतंत्र माना जाएगा यदि वह निगमित देनदार का संबंधित पक्ष नहीं है।

25.1. विनियम 5 में कहा गया है कि परिसमापक 885 के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (न्यायाधिकरण) को विभिन्न रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.]
886

परिसमापन प्रक्रिया। यदि इस प्रक्रिया में निगमित देनदार की लेखा बहियां परिसमापन शुरू होने की तारीख को अधूरी हैं, तो परिसमापक उन्हें विनियमन 6 के तहत पूरा करेगा और अद्यतन करेगा। इसके अलावा, परिसमापक को निगमित देनदार के परिसमापन के संबंध में विभिन्न रजिस्ट्रारों और पुस्तकों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, विनियमन 7 के अनुसार, वह अपने कर्तव्यों, दायित्वों और कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक पेशेवर को नियुक्त कर

सकता है। हालांकि, उन पेशेवरों को कॉर्पोरेट देनदार का रिश्तेदार या संबंधित पक्ष नहीं होना चाहिए या उन्होंने पिछले पांच वर्षों में कॉर्पोरेट देनदार के लिए लेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया हो। विनियमन 8 के तहत, परिसमापक को हितधारकों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है और संहिता की धारा 35 (2) के तहत परामर्श किए गए हितधारकों को निगमित देनदार के परिसमापन को पूरा करने के लिए परिसमापक को सभी सहायता और सहयोग देना होगा।

25.2. विनियम 32 परिसमापक को निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को बेचने का अधिकार देता है। बिक्री के तरीके को विनियमन 33 में संदर्भित किया गया है। विनियम 33 (1) के अनुसार, परिसमापक सामान्य रूप से अनुसूची I. 26 में निर्दिष्ट तरीके से नीलामी के माध्यम से निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को बेचेगा। यह हमें बिक्री के तरीके से संबंधित विनियमों की अनुसूची I में लाता है। पैरा 1 परिसमापक द्वारा किसी परिसंपत्ति की नीलामी बिक्री के लिए उठाए जाने वाले कदमों को निर्धारित करता है। किए जाने वाले कदमों का उल्लेख पैरा 1 (2) से 1 (13) में किया गया है। पैरा 1 (3) के अनुसार, परिसमापक बिक्री के नियम और शर्तें तैयार करेगा, जिसमें आरक्षित मूल्य, बकाया धन जमा (ई. एम. डी.) के साथ-साथ बोली-पूर्व योग्यता, यदि कोई हो, शामिल हैं। दूसरे परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि ई. एम. डी. आरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जो पैरा 1 (4) के अनुसार विनियमन 35 के अनुसार प्राप्त संपत्ति का मूल्य होगा।

27. विनियमन 35 पर लौटते हुए, हम उल्लेख कर सकते हैं कि उपरोक्त प्रावधान के उप-विनियमन (1) के अनुसार, परिसमापक विनियमन 35 के तहत प्राप्त मूल्यों के अनुमानों के औसत पर विचार करेगा। उप-विनियमन (2) के अनुसार, ऐसे मामलों में जो उप-विनियमन (1) के अंतर्गत नहीं आते हैं या जहां परिसमापक की राय है कि परिस्थितियों में नए मूल्यांकन की आवश्यकता है, वह परिसमापन शुरू होने की तारीख के सात दिनों के भीतर, परिसंपत्तियों या निगमित देनदार के व्यवसायों के प्राप्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करेगा। प्रथम परंतुक में कुछ व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि परिसमापक का कोई रिश्तेदार; निगमित देनदार का कोई संबंधित पक्ष आदि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उप-विनियमन (3) में कहा गया है कि उप-विनियमन (2) के तहत नियुक्त पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता स्वतंत्र रूप से परिसंपत्तियों या व्यवसायों के प्राप्य मूल्य के अनुमानों को परिसमापक को प्रस्तुत करेंगे, जो कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसार संगणित किए जाएंगे। उप-विनियम (4) में प्रावधान है कि उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त दो अनुमानों के औसत को परिसंपत्तियों या व्यवसायों के मूल्य के रूप में लिया जाएगा। 28. अनुसूची-1 पर वापस आते हुए, हम समझते हैं कि पैरा 1 (4 ए) के अनुसार, जहां कोई नीलामी आरक्षित मूल्य पर विफल हो जाती है, परिसमापक बाद की नीलामी करने के लिए उस मूल्य में 25 प्रतिशत तक की कमी कर सकता है।

28.1. अनुसूची-1 के अनुच्छेद 1 (11), (11 ए), (12) और (13) प्रासंगिक हैं क्योंकि इन प्रावधानों पर पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा बहुत जोर दिया गया है। पैरा 1 (11) के अनुसार, यदि इसकी आवश्यकता है, तो परिसंपत्तियों की बिक्री से अधिकतम प्राप्ति करने और लेनदारों के सर्वोत्तम हित को बढ़ावा देने के लिए परिसमापक नीलामी के कई दौर आयोजित कर सकता है। पैरा 1 (11 ए) में कहा गया है कि जहां परिसमापक नीलामी प्रक्रिया में उच्चतम बोली को अस्वीकार करता है, वह उच्चतम बोलीदाता को इस तरह की अस्वीकृति के कारणों से अवगत कराएगा और अगली प्रगति रिपोर्ट में इसका उल्लेख करेगा। जबकि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस प्रावधान पर बहुत जोर दिया है, जिसके आधार पर उन्होंने अपीलार्थी की बोली को अनुचित तरीके से रद्द करने का आरोप लगाया है, हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया है कि पैरा 1 (11 ए) को अनुसूची I में 30.09.2021 की अधिसूचना के माध्यम से 30.09.2021 से प्रभावी प्रभाव के साथ जोड़ा गया था। उनके अनुसार, यह प्रावधान संभावित है और 30.09.2021 से पहले आयोजित नीलामी पर लागू नहीं किया जा सकता है, जिसमें विचाराधीन नीलामी भी शामिल है। इसलिए, परिसमापक के लिए अपीलार्थी की बोली को रद्द करने का कारण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

29. हमें डर है कि हम हस्तक्षेपकर्ता की ओर से किए गए इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि यह सच है कि पैरा 1 (11 ए) को विनियमों की अनुसूची 1 में 30.09.2021 से प्रभावी प्रभाव के साथ जोड़ा गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि उपरोक्त तिथि से पहले की नीलामी बिक्री या उच्चतम बोली को परिसमापक द्वारा अनियंत्रित विवेक का प्रयोग करते हुए और बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है। यह एक तुच्छ कानून है कि कारणों को प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, न कि सत्ता के मनमाने प्रयोग पर रोक है। कारणों को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित कारकों पर विचार करना और आदेश पारित करने से पहले संबंधित प्राधिकारी द्वारा विचार करना आवश्यक है। कारणों की अनुपस्थिति 887 हो सकती है।

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 888

यह निष्कर्ष निकालने का अच्छा कारण है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया मनमाना थी। इसलिए, पैरा 1 (11 ए) ने जो किया है, वह कारण प्रस्तुत करने की आवश्यकता को वैधानिक मान्यता देना है, यदि परिसमापक उच्चतम बोलीदाता की बोली को अस्वीकार करना चाहता है। कारणों को प्रस्तुत करना, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक अभिन्न पहलू है, एक प्रावधान या कार्रवाई में अंतर्निहित है, जिसके तहत परिसमापक द्वारा उच्चतम बोली को खारिज कर दिया जाता है। इस प्रकार, पैरा 1 (11 ए) ने जो किया है वह इस सुस्थापित सिद्धांत को वैधानिक मान्यता देना है। इसने स्पष्ट कर दिया है कि क्या निहित था।

30. एस. एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ 2 में, इस न्यायालय ने राय दी कि

कारण दर्ज करने की आवश्यकता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक माना जा सकता है जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करता है। प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त

नियम नहीं हैं। उनके आवेदन की सीमा उस विशेष वैधानिक ढांचे पर निर्भर करती है जिसके तहत प्रशासनिक प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जहां कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ के साथ समाप्त कर दिया गया है, न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण को अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

39. प्राकृतिक न्याय के नियमों में अंतर्निहित उद्देश्य "न्याय की विफलता को रोकना" और "कार्रवाई में निष्पक्ष खेल" को सुरक्षित करना है। जैसा कि पहले बताया गया है कि अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता मनमानेपन की संभावनाओं को छोड़कर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ हद तक निष्पक्षता सुनिश्चित करके इस उद्देश्य को प्राप्त करती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बढ़ते क्षितिज को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि कारण दर्ज करने की आवश्यकता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक माना जा सकता है जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करता है। प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त नियम नहीं हैं। उनके आवेदन की सीमा उस विशेष वैधानिक ढांचे पर निर्भर करती है जिसके तहत प्रशासनिक प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों के प्रयोग सहित किसी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष शक्ति के प्रयोग के संबंध में, विधानमंडल, उक्त शक्ति प्रदान करते हुए,

2 (1990) 4 एस. सी. सी. 594

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

यह महसूस किया जा सकता है कि यह व्यापक लोक हित में नहीं होगा कि प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के कारणों को आदेश में दर्ज किया जाए और पीड़ित पक्ष को सूचित किया जाए और वह ऐसी आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। यह यू. एस. ए. के प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम, 1946 और ऑस्ट्रेलिया के प्रशासनिक निर्णय (न्यायिक समीक्षा) अधिनियम, 1977 में निहित उस प्रभावी अधिनियम के लिए एक स्पष्ट प्रावधान करके ऐसा कर सकता है, जिसके तहत कुछ विशिष्ट अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इस तरह का बहिष्कार विषय वस्तु की प्रकृति, योजना और अधिनियम के प्रावधानों से आवश्यक निहितार्थ से भी उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के प्रावधान में अंतर्निहित सार्वजनिक हित कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता द्वारा पूरा किए गए हितकारी उद्देश्य से अधिक होगा। इसलिए, ऐसे मामले में उक्त आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है। 40. उपरोक्त कारणों के लिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि उन मामलों को छोड़कर जहां आवश्यकता को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ के साथ समाप्त कर दिया गया है, न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकरण को अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है।

31. उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार 3 में इस न्यायालय ने दोहराया

निर्णय लेने में कारणों को प्रस्तुत करने का महत्व, चाहे वह प्रशासनिक, अर्ध-न्यायिक या न्यायिक हो। यह उस संदर्भ में था जब इस न्यायालय ने राय दी थी कि कारण प्रत्येक निष्कर्ष की दिल की धड़कन है, और इसके बिना यह निर्जीव हो जाता है। कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग और निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने के बीच जीवंत संबंध हैं। कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है; दूसरे शब्दों में, बोलना। पैराग्राफ संख्या 7 और 8 में यही राय दी गई है:

7. कारण प्रत्येक निष्कर्ष की दिल की धड़कन है, और इसके बिना यह निर्जीव हो जाता है। (राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य [(2003) 11 एस. सी. सी. 519:2004 एससीसी (सीआरआई) 212:(2003) 7 सर्वोच्च 152]।)

8. यहां तक कि प्रशासनिक आदेशों के संबंध में लॉर्ड डेनिंग, एम. आर. ब्रीन बनाम अमलगैमेटेड एंग में। संघ [(1971) 1 सभी ई. आर. 1148:(1971)

3 (2004) 5 एससीसी 568 889

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 890

2 क्यूबी 175:(1971) 2 डब्ल्यूएलआर 742 (सीए)] ने देखा: “कारण बताना अच्छे प्रशासन के मूल सिद्धांतों में से एक है।” अलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री [1974 आई. सी. आर. 120 (एन. आई. आर. सी.)] यह देखा गया था: “कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर है।” “कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग और विचाराधीन विवाद और निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने के बीच का सीधा संबंध है।” कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को दर्ज करने पर जोर यह है कि यदि निर्णय “स्फिंक्स के अस्पष्ट चेहरे” को प्रकट करता है, तो यह अपनी खामोशी से अदालतों के लिए अपने अपीलिय कार्य को पूरा करना या निर्णय की वैधता पर निर्णय लेने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव बना सकता है। तर्क का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है; अदालत के समक्ष मामले में दिमाग के अनुप्रयोग को इंगित करने के लिए कम से कम पर्याप्त कारण हैं। एक अन्य तर्क यह है कि निर्वाचित पक्ष को पता चल सकता है कि निर्णय उसके खिलाफ क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है; दूसरे शब्दों में, एक बोलने-बाहर। “स्फिंक्स का अस्पष्ट चेहरा” आम तौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत होता है।”

32. पुनः, ईस्ट कोस्ट रेलवे बनाम महादेव अप्पा राव 4 में, यह

न्यायालय ने कहा कि किसी प्राधिकरण द्वारा आदेश देने में मनमानेपन अलग-अलग रूपों में प्रकट हो सकता है। आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा मन का उपयोग न करना उनमें से केवल एक है।

आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा मन के प्रकटीकरण द्वारा मन के अनुप्रयोग का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जाता है और प्रकटीकरण उन कारणों को दर्ज करके किया जाता है जिनके कारण प्राधिकरण को प्रश्न में आदेश पारित करने के लिए प्रेरित किया गया था। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में या समकालीन रूप से बनाए गए रिकॉर्ड में कारणों की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से आदेश के मनमाने होने का संकेत देती है, इसलिए कानूनी रूप से अस्थिर है। इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों को पैराग्राफ No.23 में स्थान दिया गया है जो यहाँ नीचे निकाला गया है:

23. किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश बनाने में मनमानी अलग-अलग रूपों में प्रकट हो सकती है। आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा मन का उपयोग न करना उनमें से केवल एक है। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को उनके द्वारा उचित और उचित तरीके से विचार करने का खुलासा करना चाहिए।

4 (2010) 7 एस. सी. सी. 678

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आदेश देने वाला व्यक्ति। यह स्वयं क्रम या समकालीन रूप से बनाए गए अभिलेख से स्पष्ट हो सकता है। आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा मन के प्रकटीकरण द्वारा मन के अनुप्रयोग का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जाता है। और प्रकटीकरण सबसे अच्छा उन कारणों को दर्ज करके किया जाता है जिनके कारण प्राधिकरण को प्रश्न में आदेश पारित करने के लिए प्रेरित किया। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में या समकालीन रूप से बनाए गए रिकॉर्ड में कारणों की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देती है कि आदेश मनमाना है इसलिए कानूनी रूप से अस्थिर है।

33. इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा क्रांति एसोसिएट्स में दोहराया गया है।

(पी) लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान 5, जिसमें इस न्यायालय ने जोर दिया

कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण या यहां तक कि पक्षों के अधिकारों को लागू करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश एक बोलने वाला आदेश होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आदेश को अपने लिए बोलना चाहिए। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:- 12. अपने निर्णय के समर्थन में किसी निकाय या प्राधिकरण द्वारा कारण देने की आवश्यकता कई मामलों में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए सामने आई। प्रारंभ में इस न्यायालय ने प्रशासनिक आदेशों और अर्ध-न्यायिक आदेशों के बीच एक प्रकार के सीमांकन को मान्यता दी, लेकिन समय बीतने के साथ दोनों के बीच का अंतर धुंधला हो गया और कम हो गया और ए. के. क्राईपक बनाम भारत संघ [(1969) 2 एस. सी. सी. 262: ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 150]

13. केशव मिल्स कं. लिमिटेड बनाम भारत संघ [(1973) 1 एस. सी. सी. 380: एयर

1973 एस. सी. 389] इस न्यायालय ने आर. वी. में लॉर्ड डेनिंग की राय को अनुमोदित रूप से संदर्भित किया। ग्रेट ब्रिटेन के लिए खेल बोर्ड, पूर्व पी बेनेम [(1970) 2 क्यूबी 417:(1970) 2 डब्ल्यूएलआर 1009:(1970) 2 ऑल ई. आर. 528 (सी. ए.)] और उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया कि "रिज बनाम बाल्डविन [1964 ए. सी. 40: में पाखंड को दरकिनार कर दिया गया था। (1963) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 935:(1963) 2 सभी ईआर 66 (एचएल)]"।

14. अभिव्यक्ति "बोलने का क्रम" पहली बार लॉर्ड चांसलर अर्ल केन्स द्वारा एक अजीब संदर्भ में गढ़ा गया था। लॉर्ड चांसलर, सर्टिओरारी के रिट के दायरे को समझाते हुए, रिकॉर्ड के सामने त्रुटियों के साथ आदेशों का उल्लेख किया और बताया कि एक आदेश जिसके चेहरे पर त्रुटियां हैं, एक बोलने वाला आदेश है। (पीपी. 1878-97, वॉल्यूम देखें। 4, रिपोर्ट के 40 पर अपील मामले 30)।

5 (2010) 9 एससीसी 496 891

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 892

15. इस न्यायालय ने हमेशा यह राय दी कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण या यहां तक कि पक्षों के अधिकारों को लागू करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का चेहरा बोलना चाहिए। यह "स्फिंक्स के अस्पष्ट चेहरे" की तरह नहीं होना चाहिए।

34. उपरोक्त पर चर्चा करने के बाद, हम फिर से दिनांक 21.07.2021 के विवादित ई-मेल पर विज्ञापन दे सकते हैं, जिसके अनुसार परिसमापक ने अपीलार्थी को सूचित किया कि ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के खंड 3 (के) के संदर्भ में उन्होंने 20.07.2021 पर आयोजित ई-नीलामी को रद्द कर दिया था। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज का खंड 3 (के) केवल इतना कहता है कि परिसमापक को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने या किसी भी संपत्ति/संपत्ति या उसके हिस्से को बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर ई-नीलामी से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। जबकि परिसमापक ने उपरोक्त प्रावधान के लिए अपने अधिकार का पता लगाया है, हम उल्लेख कर सकते हैं कि खंड 2 (एम) के अनुसार, ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में प्रदान की गई जानकारी को संहिता और विनियमों के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज और संहिता या विनियमों के बीच टकराव की स्थिति में, संहिता या विनियमों के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, हमेशा प्रबल रहेंगे। इसके अलावा, खंड 3 (i) में स्पष्ट किया गया है कि ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज न तो एक समझौता है और न ही परिसमापक द्वारा संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है। ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज का उद्देश्य इच्छुक पक्ष को जानकारी प्रदान करना है ताकि वह अपनी बोली लगाने में सक्षम हो सके। खंड 5 (एन) के अनुसार सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को अपनी बोली की स्वीकृति की मांग करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

34.1. उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उच्चतम बोलीदाता को अपनी बोली की स्वीकृति की मांग करने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है, लेकिन परिसमापक को यदि वह उच्चतम बोलीदाता की बोली को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो उसे प्रासंगिक कारणों पर अपना दिमाग लगाना होगा। मन का ऐसा अनुप्रयोग अस्वीकृति क्रम में ही दिखाई देना चाहिए या प्रकट होना चाहिए। चूंकि इस न्यायालय ने पक्षों के अधिकारों से संबंधित निर्णय लेते समय कारणों को प्रस्तुत करने के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया है, इसलिए यह समझ से परे है कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण इस तरह का निर्णय लेने के कारणों का खुलासा किए बिना निर्णय ले सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

35. इसलिए यह इस प्रकार है कि हालांकि पैरा 1 (11 ए) को डब्ल्यू. ई. एफ. 30.9.20221 विनियमों की अनुसूची I में जोड़ा गया है, यह केवल उच्चतम बोली को अस्वीकार करने की स्थिति में कारण देने की आवश्यकता और आवश्यकता को पहचानता है। यह मौलिक सिद्धांत की स्वीकृति है। इस प्रकार, उच्चतम बोली की अस्वीकृति के कारणों की सूचना भी 30.09.2021 से पहले की आवश्यकता होगी।

36. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, हम बोली प्रक्रिया के अंत में परिसमापक द्वारा नियोजित भाषा को पहले ही नोट कर चुके हैं। 21.07.2021 दिनांकित ई-मेल के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उसने नीलामी जीत ली है और उसका विजेता आदेश तैयार कर लिया गया है। इस ई-मेल की भाषा स्पष्ट रूप से परिसमापक द्वारा निर्णय लेने की वास्तविकता को इंगित करती है। 37. अनुसूची-I के पैरा 1 (12) के अनुसार, नीलामी के समापन पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ऐसी मांग की तारीख के 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रथम प्रावधान के अनुसार, 30 दिनों के बाद किए गए भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। दूसरा प्रावधान कहता है कि यदि 90 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी। 37.1 पैरा 1 (13) में कहा गया है कि पूरी राशि के भुगतान पर बिक्री पूरी हो जाएगी। परिसमापक ऐसी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए बिक्री या बिक्री विलेख के प्रमाण पत्र को निष्पादित करेगा और परिसंपत्तियों को बिक्री की शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से सफल बोलीदाता को वितरित किया जाएगा।

38. इसलिए, यदि हम अनुसूची-1 के प्रावधानों, विशेष रूप से पैरा 1 (11) से (13) को पढ़ते हैं, तो एक संयुक्त तरीके से यह विचार लिया जा सकता है कि परिसमापक द्वारा सामान्य रूप से उच्चतम बोली तब तक स्वीकार की जा सकती है जब तक कि बोली में वैधानिक असंवेदनशीलता न हो या बोली प्रकृति में मिलीजुली न हो या बोली प्रक्रिया में धोखाधड़ी का कोई तत्व न हो।

39. वालजी खिमजी एंड कंपनी बनाम हिंदुस्तान नाइट्रो प्रोडक्ट (गुजरात) लिमिटेड और अन्य **6** के आधिकारिक परिसमापक मामले में, यह न्यायालय

बिक्री के समापन के बाद बहिष्कृत मनोरंजक आपत्तियाँ। धोखाधड़ी जैसे बहुत सीमित आधारों को छोड़कर, बिक्री के बाद आपत्तियों का मनोरंजन करने की अनुमति आम तौर पर नहीं दी जानी चाहिए। अन्यथा, कोई नीलामी-बिक्री कभी पूरी नहीं होगी। उस मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने नोट किया कि यह व्यापक प्रचार के बाद एक खुली नीलामी थी। नीलामी में धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं था।

6 (2008) 9 एससीसी 299 893

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 894

इसलिए, बिक्री के प्रतिबंध को अलग रखने का कोई औचित्य नहीं था। यह राय दी गई थी कि यदि प्रत्येक निश्चित बिक्री को अलग रखा जा सकता है तो इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी नीलामी-बिक्री कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि नीलामी या उसके समापन के बाद हमेशा कोई व्यक्ति अधिक राशि अर्जित कर सकता है।

40. के. कुमार गुप्ता बनाम श्री मार्कण्डय और श्री ओमकारेश्वर

स्वामी मंदिर और अन्य। 7, देवस्थानम से संबंधित भूमि की नीलामी से संबंधित मामला है। इस न्यायालय ने राय दी कि जब तक यह नहीं पाया जाता है कि सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने में कोई भौतिक अनियमितता और/या अवैधता थी और/या नीलामी बिक्री को किसी धोखाधड़ी या मिलीभगत से दूषित किया गया था, तब तक नीलामी या बिक्री को किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए कुछ अभ्यावेदन के आधार पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले के पक्ष में अलग रखने के लिए खुला नहीं है, जिसने नीलामी की कार्यवाही में भाग भी नहीं लिया था और कुछ भी नहीं किया था। यदि नीलामी प्रक्रिया में बार-बार हस्तक्षेप किया जाता है, तो सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने का उद्देश्य और उद्देश्य और सार्वजनिक नीलामी की पवित्रता निराश होगी। इस न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 23 में कहा कि जब तक धोखाधड़ी, मिलीभगत आदि के आरोप नहीं हैं, तब तक सार्वजनिक नीलामी में प्राप्त उच्चतम मूल्य को उचित मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्यथा, सार्वजनिक नीलामी की कोई पवित्रता नहीं होगी।

41. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, अपीलार्थी की उच्चतम बोली को रद्द करने के बाद भी, बाद की बिक्री सूचना दिनांक 24.12.2021 में, प्रतिवादी संख्या 2 यानी परिसमापक ने फिर से विषय संपत्ति का आरक्षित मूल्य Rs.10 करोड़ निर्धारित किया था जो नीलामी बिक्री के पिछले दौर में आरक्षित मूल्य था और जो अपीलार्थी का बोली मूल्य भी था। यदि यह स्थिति है, तो हम अपीलार्थी की बोली को अस्वीकार करने और उसी आरक्षित मूल्य पर नीलामी के एक और दौर के लिए जाने में कोई तर्क या औचित्य साबित करने में विफल रहते हैं।

42. इस प्रकार, परिसमापक की केवल यह अपेक्षा कि और भी अधिक कीमत प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा वैध नीलामी को रद्द करने और नीलामी के एक और दौर के लिए जाने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं हो सकता है। इस तरह की कार्रवाई से न केवल टालने योग्य खर्चों को बढ़ावा मिलेगा,

बल्कि नीलामी प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी कम होगी। इसके अलावा, नीलामी के बाद परिसमापक के लिए यह खुला नहीं है कि वह तीसरे पक्ष के संचार पर कार्रवाई करे और नीलामी को रद्द करे, जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि धोखाधड़ी या मिलीभगत ने नीलामी को दूषित कर दिया था। आवश्यक परिणाम कि

7 (2022) 5 एस. सी. सी. 710

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इससे यह पता चलता है कि परिसमापक की ओर से नीलामी को रद्द करने के लिए कोई पूर्ण या निरंकुश विवेकाधिकार नहीं हो सकता है जो अन्यथा वैध है। चूंकि यह कानून के शासन द्वारा शासित एक प्रशासनिक ढांचे में है, इसलिए परिसमापक का कोई पूर्ण या निरंकुश विवेकाधिकार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, परिसमापक से संबंधित सभी प्रावधानों के गहन विश्लेषण पर यह स्पष्ट है कि परिसमापक के पास परिसमापन प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए कई कर्तव्य, कार्य और शक्तियां निहित हैं, जिसमें वह यह सुनिश्चित करते हुए किसी भी प्रतिकूल तरीके से कार्य नहीं करेगा कि नीलामी प्रक्रिया कानून के अनुसार और सभी हितधारकों के लाभ के लिए की जाए। केवल इसलिए कि परिसमापक के पास कई नीलामी करने का विवेकाधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उचित मूल्य प्राप्त करने वाली वैध नीलामी को छोड़ देगा या रद्द कर देगा और बेहतर मूल्य की उम्मीद के साथ नीलामी प्रक्रिया के एक और दौर का विकल्प चुनेगा। न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा था कि नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने और नीलामी के एक और दौर का विकल्प चुनने के लिए परिसमापक के समक्ष कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी।

43. हस्तक्षेपकर्ता के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि श्री विजय कुमार घिदिया, जो अपीलार्थी के निदेशक और प्रमुख शेयरधारक हैं, भी कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक निदेशक और प्रमुख शेयरधारकों में से एक थे। इसलिए, वह निगमित देनदार का एक 'संबंधित पक्ष' है और इस तरह वह पात्र नहीं है; बल्कि निगमित देनदार की विषय संपत्ति की नीलामी में भाग लेने से प्रतिबंधित है। हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह बताया कि श्री विजय कुमार घिदिया अब कॉर्पोरेट देनदार से जुड़े नहीं हैं, जो वर्ष 2011 में उक्त कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे।

44. इस स्तर पर, हम संहिता की धारा 5 (24) को विज्ञापन दे सकते हैं जो एक कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में 'संबंधित पक्ष' अभिव्यक्ति की अवहेलना करता है। धारा 5 (24) इस प्रकार है:-

5. परिभाषाएँ-इस भाग में, जब तक कि अन्य संदर्भ की आवश्यकता न हो, (24) किसी निगमित देनदार के संबंध में "संबंधित पक्ष" का अर्थ है-(ए) निगमित देनदार का निदेशक या भागीदार या निगमित देनदार के निदेशक या भागीदार का रिश्तेदार;

(बी) कॉर्पोरेट देनदार का एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या कॉर्पोरेट देनदार के एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी का रिश्तेदार; 895

- (ग) एक सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी जिसमें एक निदेशक, भागीदार, या कॉर्पोरेट देनदार या उसके रिश्तेदार का प्रबंधक एक भागीदार है;
- (घ) एक निजी कंपनी जिसमें निगमित देनदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक निदेशक है और अपनी शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक अपने रिश्तेदारों के साथ रखता है।
- (ङ) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें निगमित देनदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक एक निदेशक है और रिश्तेदारों के साथ अपनी चुकता शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक रखता है।
- (च) कोई भी निगमित जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, निगमित देनदार के निदेशक, भागीदार या प्रबंधक की सलाह, निर्देश या निर्देशों पर कार्य करता है;
- (छ) कोई सीमित देयता साझेदारी या साझेदारी जिसके भागीदार या कर्मचारी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, कॉर्पोरेट देनदार के निदेशक, भागीदार या प्रबंधक की सलाह, निर्देश या निर्देशों पर कार्य करते हैं;
- (ज) कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या निर्देश पर, एक निदेशक, भागीदार या कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधक कार्य करने का आदी है;
- (i) एक निगमित निकाय जो निगमित देनदार की एक होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी है, या एक होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी है जिसमें निगमित देनदार एक सहायक है;
- (जे) कोई भी व्यक्ति जो स्वामित्व या मतदान समझौते के कारण कॉर्पोरेट देनदार में बीस प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों को नियंत्रित करता है;
- (के) कोई भी व्यक्ति जिसमें कॉर्पोरेट देनदार स्वामित्व या मतदान समझौते के कारण बीस प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों को नियंत्रित करता है;
- (एल) कोई भी व्यक्ति जो निदेशक मंडल या कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित शासी निकाय की संरचना को नियंत्रित कर सकता है;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(एम) कोई भी व्यक्ति जो निगमित देनदार के साथ जुड़ा हुआ है -

((i) निगमित देनदार की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी; या

((ख) निगमित देनदार और ऐसे व्यक्ति के बीच दो से अधिक निदेशक होने पर; या

((ग) निगमित देनदार और ऐसे व्यक्ति के बीच प्रबंधकीय कर्मियों का आदान-प्रदान; या

((iv) निगमित देनदार को या उससे आवश्यक तकनीकी जानकारी का प्रावधान;

44.1 धारा 5 (24) के खंड (ए) में कहा गया है कि निगमित देनदार का निदेशक या भागीदार या निगमित देनदार के निदेशक या भागीदार का रिश्तेदार एक संबंधित पक्ष होगा। इसी तरह, धारा 5 (24) के खंड (ई) के अनुसार, किसी निगमित देनदार के संबंध में 'संबंधित पक्ष' का अर्थ एक निजी या सार्वजनिक कंपनी से होगा जिसमें निगमित देनदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी शेयर पूंजी या चुकता शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक रखता है, जैसा भी मामला हो।

45. इसी तरह, धारा 5 (24 ए) किसी व्यक्ति के संबंध में 'संबंधित पक्ष' की अवहेलना करती है जो इस प्रकार है:-

5. परिभाषाएँ-इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, -(24 क) किसी व्यक्ति के संबंध में "संबंधित पक्ष" का अर्थ है -

(क) एक व्यक्ति जो व्यक्ति का रिश्तेदार है या व्यक्ति के जीवनसाथी का रिश्तेदार है;

(ख) सीमित देयता साझेदारी, या सीमित देयता साझेदारी या साझेदारी का भागीदार, जिसमें व्यक्ति एक भागीदार है; (ग) एक व्यक्ति जो उस ट्रस्ट का ट्रस्टी है जिसमें ट्रस्ट के लाभार्थी सहायक में व्यक्ति शामिल है, या ट्रस्ट की शर्तें ट्रस्टी को एक शक्ति प्रदान करती हैं जिसका उपयोग व्यक्ति के लाभ के लिए किया जा सकता है; (घ) एक निजी कंपनी जिसमें व्यक्ति एक निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ दो प्रतिशत से अधिक रखता है। अपनी शेयर पूंजी का; 897

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 898

(ङ) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें व्यक्ति निदेशक है और रिश्तेदारों के साथ दो प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखता है। (च) एक निगमित निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, व्यक्ति की सलाह, निर्देश या निर्देशों पर कार्य करता है;

(छ) एक सीमित देयता साझेदारी या एक ऐसी साझेदारी जिसके भागीदार या कर्मचारी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में व्यक्ति की सलाह, निर्देश या निर्देशों पर कार्य करते हैं;

(ज) एक व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या निर्देशों पर व्यक्ति कार्य करने का आदी है;

((i) एक ऐसी कंपनी, जिसमें व्यक्ति या व्यक्ति अपने संबंधित पक्ष के साथ पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। कंपनी की शेयर पूंजी या कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति को नियंत्रित करता है।

स्पष्टीकरण।—इस खंड के प्रयोजनों के लिए -

(क) "सम्बन्धी" से, किसी व्यक्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित तरीके से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो दूसरे से संबंधित है, अर्थात् -

((i) हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य, (ii) पति,

((ग) पत्नी,

((iv) पिता,

((v) माँ,

((vi) बेटा,

((vii) बेटी,

((viii) बेटे की बेटी और बेटा, (ix) बेटी की बेटी और बेटा, (x) पोते की बेटी और बेटा,

((xi) पोती की बेटी और बेटा, (xii) भाई,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

((xiii) बहन,

((xiv) भाई का बेटा और बेटी, (xv) बहन का बेटा और बेटी, (xvi) पिता का पिता और माँ, (xvii) माँ का पिता और माँ, (xviii) पिता का भाई और बहन, (xix) माँ का भाई और बहन, और

(ख) जहाँ कहीं भी बेटे, बेटी, बहन या भाई का संबंध है, वहाँ उनके जीवनसाथी को भी शामिल किया जाएगा।

45.1. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जो व्यक्ति का रिश्तेदार है या व्यक्ति के जीवनसाथी का रिश्तेदार है, उस व्यक्ति के संबंध में एक 'संबंधित पक्ष' होगा। इसके अलावा, एक निजी कंपनी या एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें व्यक्ति एक निदेशक है और रिश्तेदारों के साथ अपनी शेयर पूंजी या चुकता शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक, जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति के संबंध में एक 'संबंधित पक्ष' होगा। इसके अलावा, स्पष्टीकरण के अनुसार, मातृ और पैतृक दोनों चाचाओं को 'संबंधित पक्ष' की परिभाषा के तहत शामिल किया जाएगा।

46. संहिता की धारा 29 ए में उन व्यक्तियों का उल्लेख है जो समाधान आवेदक होने के योग्य नहीं हैं। धारा 29 ए इस प्रकार है:-

29-A. वे व्यक्ति जो समाधान आवेदक होने के पात्र नहीं हैं।—एक व्यक्ति

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, या कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से या ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर रहा है, -

(क) एक अविमुक्त दिवालिया है;

(बी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक जानबूझकर चूककर्ता है;

(ग) [समाधान योजना जमा करते समय एक खाता है] या ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण के तहत एक कॉर्पोरेट देनदार का खाता या जिसका ऐसा व्यक्ति एक प्रवर्तक है, जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है [या 899 के तहत जारी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के दिशानिर्देश]

ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. [उज्जवल भुवन, जे.] 900

] और कम से कम एक वर्ष की अवधि ऐसे वर्गीकरण की तारीख से निगमित देनदार की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तक समाप्त हो गई है:

बशर्ते कि व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले ब्याज और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति खातों से संबंधित शुल्कों के साथ सभी अतिदेय राशियों का भुगतान करता है:

[बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी समाधान आवेदक पर लागू नहीं होगा जहां ऐसा आवेदक एक वित्तीय इकाई है और निगमित देनदार का संबंधित पक्ष नहीं है।

स्पष्टीकरण I-इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित पक्ष" अभिव्यक्ति में वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित एक वित्तीय इकाई शामिल नहीं होगी, यदि वह निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार है और निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष है, जो केवल ऋण को इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय उपकरणों में परिवर्तित करने या प्रतिस्थापित करने के कारण है। स्पष्टीकरण II.-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी समाधान आवेदक का खाता है, या ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में किसी निगमित देनदार का खाता है, या जिसका ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक है, उसे गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसा खाता इस संहिता के तहत अनुमोदित पूर्व समाधान योजना के अनुसार अर्जित किया गया था, तो इस खंड के प्रावधान इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए ऐसे समाधान आवेदक पर लागू नहीं होंगे; [घ) कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है-(i) बारहवीं अनुसूची के तहत निर्दिष्ट किसी अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक के लिए; या

((ii) वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत सात साल या उससे अधिक के लिए:

बशर्ते कि यह खंड किसी व्यक्ति को कारावास से रिहा होने की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद लागू नहीं होगा:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण I के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा;]

(ड) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है:

[बशर्ते कि यह खंड स्पष्टीकरण I के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी संबंधित व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा;]

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजारों तक पहुँचने से प्रतिबंधित है;

(छ) एक प्रवर्तक या एक निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में रहा है जिसमें एक अधिमान्य लेनदेन, कम मूल्य का लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी का लेनदेन हुआ है और जिसके संबंध में इस संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक आदेश दिया गया है:

[बशर्ते कि यह खंड तब लागू नहीं होगा जब इस संहिता के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में या वित्तीय क्षेत्र के नियामक या अदालत द्वारा अनुमोदित किसी योजना या योजना के अनुसरण में समाधान आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के अधिग्रहण से पहले कोई तरजीही लेनदेन, कम मूल्य का लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी का लेनदेन किया गया हो और ऐसे समाधान आवेदक ने अन्यथा तरजीही लेनदेन, कम मूल्य वाले लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी वाले लेनदेन में योगदान नहीं दिया हो;] (ज) एक कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में एक लेनदार के पक्ष में [गारंटी] निष्पादित की है जिसके खिलाफ ऐसे लेनदार द्वारा इस संहिता के तहत दिवालिया समाधान के लिए एक आवेदन स्वीकार किया गया है [और ऐसी गारंटी लेनदार द्वारा लागू की गई है और बची हुई है।

((i) भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र में किसी भी कानून के तहत खंड (ए) से (एच) के अनुरूप किसी भी विकलांगता के अधीन है; या

(जे) एक संबंधित व्यक्ति है जो खंड (ए) से (आई) के तहत पात्र नहीं है।

स्पष्टीकरण [I]।—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित व्यक्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ है-901

- ((i) कोई भी व्यक्ति जो प्रस्ताव आवेदक का प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में है; या
- ((ख) कोई भी व्यक्ति जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान निगमित देनदार के व्यवसाय का प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण करेगा; या
- ((iii) खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की धारक कंपनी, सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संबंधित पक्ष।

*

*

*

*

*

*

46.1. इस प्रकार, धारा 29 ए (जी) के अनुसार, कोई व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो संयुक्त रूप से या ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर रहा है, एक प्रवर्तक रहा है या एक कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में है जिसमें एक तरजीही लेनदेन, कम मूल्य का लेनदेन, जबरन ऋण लेनदेन या धोखाधड़ी का लेनदेन हुआ है और जिसके संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा एक आदेश दिया गया है। खंड (जे) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा यदि ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या उसके साथ मिलकर काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का कोई संबंधित व्यक्ति है जो खंड (ए) से (आई) के तहत पात्र नहीं है। स्पष्टीकरण (i) के अनुसार, 'जुड़े हुए व्यक्ति' पद का अर्थ है-(i) कोई भी व्यक्ति जो प्रस्ताव आवेदक का प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में है; या (ii) कोई भी व्यक्ति जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान निगमित ऋणी के व्यवसाय का प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में होगा; आदि।

47. धारा 29 ए के तहत धारा 5 (24) और (24 ए) में दिखाई देने वाली 'संबंधित पक्ष' अभिव्यक्ति को काफी लाभ मिला है।

इस न्यायालय का ध्यान। स्विस् रिबन प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य

बनाम भारत संघ और अन्य 8, संहिता की धारा 29 ए (जे) को एक संवैधानिक चुनौती दी गई थी जिसे धारा 5 (24) और 5 (24 ए) के तहत 'संबंधित पक्ष' की अवज्ञा के साथ पढ़ा गया था। चुनौती को पलटते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

109. हमारा विचार है कि जो व्यक्ति संयुक्त रूप से या दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, वे प्रस्ताव की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े होते हैं।

8 (2019) 4 एससीसी 17

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आवेदक। इसी तरह, धारा 5 (24-ए) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियां दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्तियों को धारा 29-ए (जे) के अर्थ के भीतर समाधान आवेदक के साथ "जुड़ा" होना चाहिए। इस मामले में, व्यक्तियों की उक्त श्रेणियों का, जिनका सामूहिक रूप से "रिश्तेदार" शीर्षक के तहत उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि के साथ संबंध होना चाहिए। यह दिखाने के अभाव में कि ऐसा व्यक्ति समाधान आवेदक की गतिविधि के व्यवसाय से "जुड़ा हुआ" है, ऐसे व्यक्ति को संभवतः धारा 29-ए (जे) के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। धारा 29-ए (जे) में सभी श्रेणियां उन व्यक्तियों से संबंधित हैं, जो प्राकृतिक और साथ ही कृत्रिम हैं, जो समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हैं। इसलिए, परिभाषा खंडों में निहित "संबंधित पक्ष" और "रिश्तेदार" अभिव्यक्ति को स्पष्टीकरण I में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के साथ एक समाज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें केवल वे व्यक्ति शामिल होंगे जो प्रस्ताव आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हैं। 110. एक तर्क यह भी दिया गया कि स्पष्टीकरण I, खंड (ii) से धारा 29-ए (जे) में "संबद्ध व्यक्ति" अभिव्यक्ति संभवतः उस व्यक्ति को संदर्भित नहीं कर सकती है जो भविष्य में निगमित देनदार के व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण में हो सकता है। यह मनमाना होगा क्योंकि स्पष्टीकरण तब एक अनिश्चित व्यक्ति पर लागू होगा। इस विवाद को भी दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि स्पष्टीकरण I यह स्पष्ट करना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अन्यथा "जुड़े हुए व्यक्ति" के रूप में शामिल है, तो यह प्रावधान एक ऐसे व्यक्ति को भी शामिल करेगा जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान निगमित देनदार के व्यवसाय के प्रबंधन या नियंत्रण में है। इसलिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी अनिश्चित नहीं है, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है जो या तो पूर्ववर्ती समय पर या समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान भी निगमित देनदार के व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालता है। यह धारा 29-ए (जे) की संवैधानिक वैधता के बारे में सवाल उठाने वाली सभी दलीलों का निपटारा करता है।

47.1. एक सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, इस न्यायालय ने राय दी कि परिभाषा अनुभागों में निहित 'संबंधित पक्ष' और 'सापेक्ष' अभिव्यक्तियों को स्पष्टीकरण I में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के साथ एक समाज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए पढ़ें, इसमें केवल वे व्यक्ति शामिल होंगे जो प्रस्ताव आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हैं। इस न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि 'जुड़े हुए व्यक्ति' अभिव्यक्ति में एक व्यक्ति भी शामिल होगा जो 903 में है।

ईवा एग्री फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और ए. एन. आर. 904 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान निगमित देनदार के व्यवसाय का प्रबंधन या नियंत्रण।

48. फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज

सीमित 9, इस न्यायालय ने नोट किया कि 'संबंधित पक्ष' अभिव्यक्ति एक कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में धारा 5 (24) में अवहेलना है और धारा 5 (24 ए) एक व्यक्ति के संबंध में एक संबंधित अवज्ञा प्रदान करती है। इसके बाद, इसे निम्नानुसार देखा गया है:-

88. धारा 21 (2) के पहले परंतुक के संबंध में व्याख्या का एक मुद्दा यह है कि क्या परंतुक के तहत अयोग्य ठहराव केवल व्यावहारिक रूप से एक वित्तीय लेनदार से जुड़ा होगा, या यदि अयोग्य ठहराव उन वित्तीय लेनदारों पर भी लागू होता है जो ऋण प्राप्त करने के समय निगमित देनदार से संबंधित थे।

48.1. आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड वी. सतीश कुमार गुप्ता 10 में इसके पहले के निर्णय का उल्लेख करते हुए, जहां मुद्दा यह था कि क्या संहिता की धारा 29 ए (सी) के तहत समाधान आवेदक की अयोग्यता किसी आवेदक के साथ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख पर या उस समय जुड़ी हुई है जब समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है। यह स्पष्ट किया गया था कि धारा 29 (ए) के शुरुआती शब्दों में कहा गया है कि "कोई व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा". स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अयोग्यता का चरण तब जुड़ जाता है जब समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है; इस प्रकार अयोग्यता आवेदन में लागू होती है। इस न्यायालय ने संहिता की धारा 21 (2) का उल्लेख किया, विशेष रूप से दूसरे परंतुक के लिए जो लेनदारों की समिति और उक्त समिति द्वारा समाधान योजना पर विचार करने और मतदान करने में संबंधित पक्ष की अयोग्यता से संबंधित है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

101. हालाँकि, यदि ऐसी व्याख्या धारा 21 (2) के पहले परंतुक को दी जाती है, तो सभी वित्तीय लेनदारों को बाहर रखा जाएगा यदि वे उस समय कॉर्पोरेट देनदार के "संबंधित पक्ष" थे जब वित्तीय ऋण बनाया गया था। यह यकीनन उन संस्थाओं के लिए बेतुका निष्कर्ष निकाल सकता है जिन्होंने वैध रूप से संबंधित पक्षों के ऋण पर कब्जा कर लिया है, या जहां संबंधित पार्टी इकाई ने बहुत पहले "संबंधित पक्ष" होना बंद कर दिया था।

9 (2021) 3 एससीसी 475 10 (2019) 2 एससीसी 1

49. अरुण कुमार जगतारामका बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड

और अन्य 11, संहिता की धारा 29 ए से भी संबंधित है। उस मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि संहिता का मौलिक अभिधारणा यह है कि एक निगमित देनदार को उसके प्रबंधन और निगमित ऋण

से संरक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए यह विसंगति होगी यदि किसी ऐसे व्यक्ति से समझौता या व्यवस्था की जा सकती है जो निगम की स्थिति के लिए जिम्मेदार है।

ऋणी। आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड (ऊपर) का उल्लेख करते हुए, यह न्यायालय यह पाया गया कि उक्त निर्णय संहिता की धारा 29 ए के एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में दिया गया है ताकि कोई व्यक्ति उन व्यक्तियों तक पहुँच सके जो वास्तव में 'नियंत्रण' में हैं, चाहे वे संयुक्त रूप से हों या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर। इसके बाद इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 29 ए यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि संहिता के उद्देश्यों को किसी कंपनी (निगमित देनदार) को चलाने के लिए जिम्मेदार 'अयोग्य व्यक्तियों' को समाधान आवेदक के नए अवतार में वापस करने की अनुमति देकर विफल नहीं किया जाता है।

50. उपरोक्त से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अयोग्य ठहराने की मांग बिना किसी आधार के की गई है क्योंकि संबंधित पक्ष एक दशक से अधिक समय पहले निगमित देनदार के स्वामित्व में नहीं रहा था। जब अपीलार्थी ने नीलामी बिक्री सूचना के अनुसार अपनी बोली लगाई थी, तब वह कंपनी के प्रभारी या कंपनी के एक निवेश योग्य सदस्य यानी कॉर्पोरेट देनदार नहीं थे।

51. इस प्रकार उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण के दिनांक 1 के आदेश को रद्द करने में उचित नहीं था। नतीजतन, हम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 30.11.2021 दिनांकित आदेश को दरकिनार कर देते हैं और 12.08.2021 दिनांकित आदेश को बहाल करते हैं। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

11 (2021) 7 एस. सी. सी. 474